वनाधिकार अधिनियम 2006

कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना ?

पॉपुलर एजूकेशन सीरीज – 2

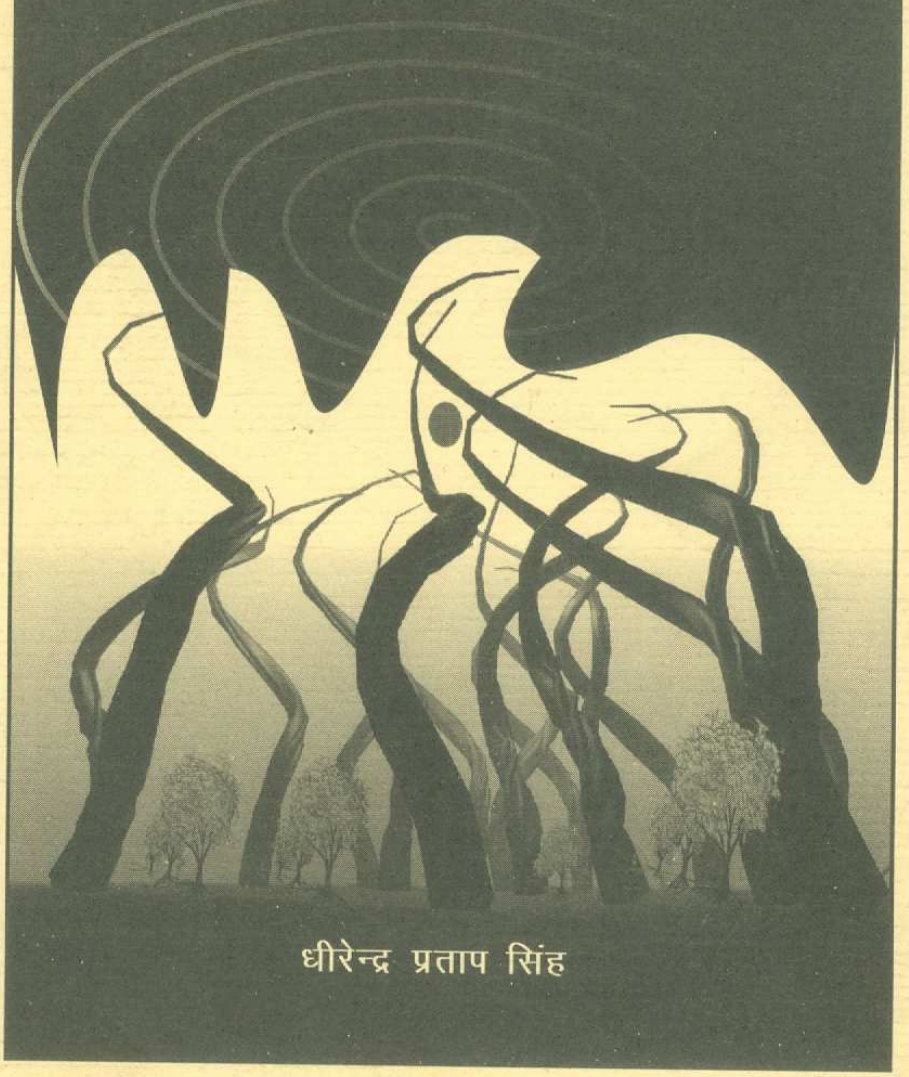

धीरेन्द्र प्रताप सिंह

D;k g\ ;g u;k ou dkuu \
dgh ij fuxkg\ dgh ij fu'kkuk

आज जब बड़ी तेजी के साथ उदारीकरण, निजीकरण एवं भूबाजारीकरण की गाड़ी को सरपट पटरी पर दौड़ाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी रफ्तार को और गति देने के लिए नये–नये कानूनों, अध्यादेशों तथा कानूनों में बदलाव भी तेजी के साथ देखने को मिल रहे हैं। यह नया वन अधिकार कानून इसी कड़ी का ही हिस्सा है या नहीं यह इसके लागू होनेके बाद पूर्णतया तथा इसके प्रावधानों को देखकर अंशतः समझा जा सकता है।

प्राकृतिक सम्पदा– जल, जंगल, खनिज तत्व जब तिजारत करने वालों के अकूत मुनाफे के जरिये बनाये जा रहे हों, अपनी जमीन, पानी, वन एवं अपनी जीविका के संसाधनों से वंचित किये जा रहे लोग जब वंचितीकरण के खिलाफ आवाज उठाते समय राज्य के हिंसक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हों, मौत के घाट उतारे जा रहे हों तो ऐसे समय में वही राज्य वनों के अधिकार के संदर्भ में अनु. जनजातियों को अधिकार देने का कानून बना रहा हो तो (ऐसी परिस्थिति में) दोनों परस्पर विरोधी बातें आसानी से पचती नहीं बल्कि आशंकाओं को जन्म देती हैं।

क्या काशीपुर, कलिंगनगर, दादरी, सिंगुर, नन्दीग्राम के वासियों की जमीनों पर उनका कानूनी हक नहीं था ? क्या सच नहीं कि तमाम स्थानों पर लोगों की जमीनें सरकार द्वारा किसी न किसी कानून की आड़ लेकर छीनी गयीं या निजी कंपनियों ने किसी न किसी तिकड़म से हड़प लीं।

यह कानून यदि आदिवासियों को उन जमीनों पर हकदारी भी दे दे जिन पर वे काबिज हैं तो क्या इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि भविष्य में उनकी जमीनें छीनी नहीं जायेंगी। शिवनाथ जैसी नदियां बेची नहीं जायेंगी।

क्या इस कानून से या किसी अन्य कानून के जरिये यह प्रावधान किये

वगैर कि अनुसूचित जनजातियों की जमीनें हर हाल में अहस्तांतरणीय होंगी; सरकार भी उनकी जमीनें किसी भी कानून की आड़ लेकर हथियायेगी नहीं – अनुसूचित जनजातियों की जमीनें बच पायेंगी ?

क्या बड़ी कंपनियों के 'सभ्य' मालिक जंगलों में 'मानवता के हित में' (?) प्रस्तावित 'सभ्य' गतिविधियों को सुचारू रूप से 'असभ्यों' के रहते संचालित कर पायेंगे ? असभ्यों के रहते क्या विकास का यज्ञ फलीभूत हो पायेगा ? 'हवन' करने जा रही ये कंपनियां क्या 'राक्षसों' को यज्ञ भंग करने की अनुमति देंगी ? शायद नहीं, निश्चित तौर पर नहीं।

जब इस अधिनियम पर हम चर्चा करने जा रहे हैं तो हमें इन पहलुओं पर भी विचार करना होगा। निश्चित तौर पर इस संदर्भ में एक केन्द्रीय कानून बनाने के लिए आदिवासियों के अधिकारों की पैरवी करने वाले आंदोलनों का योगदान है। लेकिन यह भी देखना होगा कि क्या यह अधिनियम वही है जिसकी ये आंदोलनकारी मांग कर रहे थे और जो अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करेगा; या कुछ और है ?

जिस तरह सेज परियोजनाओं की दीवार के अंदर आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा कहीं उसी तरह वनों के अंदर आदिवासियों, अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश पर स्थायी रोक की तैयारी के रूप में यदि इस कानून को कुछ लोग देख रहे हैं तो उनकी आशंका को भी हलके में लेकर खारिज नहीं किया जा सकता।

कहा तो यहां तक जा रहा है कि खनिज तत्वों, पानी, वन की औषधियों, वन्य जीवों, कीमती लकड़ियों, यूरेनियम, आयरन और जिप्सम जैसी कीमती चीजों पर कुण्डली मारने का मौका हासिल करने के लिए यदि कुछ पट्टा–सट्टा देना पड़े तो देने में हर्ज ही क्या है ?

एक हाथ से वन के बाहरी हिस्से में जमीनें लो तथा दूसरे हाथ वन में न जाने का वचन दो। क्या यही खेल है यह या कुछ और ? फिर भी इसे अनुसूचित जनजाति/आदिवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के एक कदम के रूप में देखने की जरूरत है। अभी मंजिल दूर है आगे और आगे बढ़ते जाना है। प्राकृतिक संपदा की लूट और आदिवासियों का उत्पीड़न दोनों को अलग–अलग करके देखने की नहीं बल्कि दोनों मोर्चों पर डटे रहने की ज़रूरत के अलावा कोई रास्ता बचा है क्या ?

ftl ,frgkfld vU;k; dh ckr dh tk jgh g(
D;k og cUn gk x;k g \

वन अधिकार कानून का घोषित प्रमुख उद्देश्य है अनुसूचित जनजातियों/आदिवासियों, वनवासियों के साथ ऐतिहासिक रूप से जो अन्याय किया गया है, उसे समाप्त करना।

ब्रितानी हुकूमत के समय से भारत के सह–अस्तित्व एवं सामुदायिकता के आधार पर टिके ताने–बाने एवं समाज की बुनियादी इकाइयों कुटुम्ब, पंचायत, गांव, कबीले को तहस–नहस करने की प्रक्रिया तेजी के साथ शुरू की गयी और उसे नष्ट करके राष्ट्र राज्य को स्थापित किया गया।

इस प्रक्रिया को मुकम्मल बनाने के लिए वनों पर नियंत्रण (जहां पर बेशकीमती चीजों का जमीन के ऊपर तथा जमीन के नीचे विशाल भण्डार था) तथा वनों से वनवासियों को बेदखल करना और वनवासियों द्वारा कृषि के उपयोग में आने वाली भूमि को भी वनक्षेत्र घोषित करना एक महत्वपूर्ण कदम था। आजाद भारत में बने वन कानूनों ने इस प्रक्रिया को और तेज ही किया है।

ब्रितानी हूकूमत के समय जंगलों को सामुदायिक उपयोग के संसाधन की बजाय उस पर राज्य/सत्ता का एकाधिकार माना जाने लगा। इस एकाधिकार को कायम रखने के लिए वन कानून बनाये गये।

वास्तव में अंग्रेजी हुकूमत से पहले भारतीय सामंत–राजे–महराजे जंगलों में कोई खास हस्तक्षेप न करके वहां शिकार करने–मनोरंजन करने और अपने सेना के उपयोग हेतु हाथी तथा भवन के निर्माण के लिए इमारती लड़की प्राप्त करने तक ही सीमित थे। आदिवासी बहुल वन क्षेत्रों में गैर–आदिवासी शासकों की हुकूमत भी बहुत कम रही है।

परंतु अंग्रेजों ने योजनाबद्ध ढंग से नये आदेशों, फरमानों के जरिये उन क्षेत्रों के वनों पर पूरा का पूरा अधिकार जताना शुरू कर दिया जहां

कंपनी बहादुर का कब्जा हो चुका था। आदिवासियों को जंगल से लकड़ी लेने तक से रोका गया। दक्षिण भारत का मालाबार वाला क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में शुरूआती दौर में आ गया था अतएव यहां पर सन् 1807 में ही अंग्रेजों ने वनों पर अपने कब्जे की घोषणा कर दी।

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बोरी क्षेत्र को अंग्रेजों ने आजादी की लड़ाई के प्रथम संग्राम के 5 साल बाद 1862 ई. में देश का पहला आरक्षित वन बना लिया। इससे पूर्व वहां के विद्रोही जागीरदार भभूत सिंह को जबलपुर जेल में 1861 में फांसी दी गई। यह वह वन क्षेत्र था जिसकी 75 फीसदी जमीन पर आदिवासी खेती करते थे, जिन्हें दो साल के अन्दर ही जंगलों से भगा दिया गया।

बोरी क्षेत्र के इस अनुभव ने वन विभाग की नींव डाली तथा 1864 में वन विभाग एवं इसके एक साल बाद पहला वन कानून अस्तित्व में आया। आगे चलकर 1878 के वन कानून ने आरक्षित वन की बाढ़ ला दी। देखते–देखते आदिवासी क्षेत्रों के तमाम जंगल मानवरहित आरक्षित वन बना दिये गये। वन और वनवासियों को अलग–अलग कर दिया गया। इन वनों में आदिवासियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा पत्ते बीनने तक का हक छीन लिया गया।

ब्रिटिश कालीन भारत में आरक्षित वनों के प्रावधान को 1927 के वन कानून में जस का तस रखा गया और जो आजादी के 60 साल बाद आजाद भारत में आज भी जारी है।

आरक्षित वनों के प्रावधान ने जंगल पर आदिवासियों के सारे अधिकार छीन लिये। क्या आज हमारे देश में आरक्षित वन का प्रावधान समाप्त हो गया है ? क्या इस नये कानून के द्वारा आरिक्षत वनों एवं अभयारण्यों को समाप्त किया जा रहा है ? अंग्रेजों के समय में आदिवासियों की जो जमीनें छीनी गयी थीं उसे वापस करने का कोई प्रावधान इस कानून में है ? यदि यह नहीं है तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, अनुसूचित जनजाति आयेाग, जनजाति कार्य मंत्रालय एवं भारत सरकार की यह घोषणा कि यह कानून अनुसूचित जनजातियों के साथ किये गये 'ऐतिहासिक अन्याय' को समाप्त करेगा – रोते बच्चे को झुनझुना पकड़ाने से ज्यादा कुछ नहीं है।

इसीलिए जब इस कानून के प्रस्तावित मसौदे को बहस के लिए जारी किया गया तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से आपत्ति दर्ज़ करते हुए कहा गया था कि.......आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता न देना एक ऐतिहासिक अन्याय होगा ....परंतु इस पूरे मामले को पर्यावरण, समता तथा पूरे समाज की उपयोगिता को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए.........।

''.........वनों पर सभी भारतीय नागरिकों का अधिकार है अतएव उसे 8.2 प्रतिशत आबादी वाले आदिवासियों को सौंप देना उचित नहीं होगा........।''

''.............आदिवासी परिवारों को दी जाने वाली कुल भूमि बहुत ज्यादा होगी जिससे विशाल वन क्षेत्र की क्षति होगी जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 तथा टिकाऊ वन प्रबंधन की प्रतिबद्धता के खिलाफ होगी.........।''

ये भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक मंत्रालय की आपत्तियाँ थीं। क्या इन आपत्तियों (जो मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी थीं) को देखकर यह नहीं लगता कि आदिवासियों के साथ किये गये अन्याय को समाप्त करने का कितना इरादा है।

अंग्रेजों की तरह ही वनों का आकार बढ़ाने या कब्जाये गये वनों को बरकरार रखने के प्रति मंत्रालय ज्यादा चिंतित है या आदिवासियों की जिंदगी बेहतर बनाने के सरोकारों से उसका कुछ लेना देना है ?

यह याद रखा जाना चाहिए कि यह कानून उन लोगों के अधिकारों को स्वीकार किये जाने के बारे में है जो पूरे देश की आबादी का 8.2 फीसदी हैं और विस्थापित हुए लोगों की संख्या का 55.15 प्रतिशत। इनमें से बहुत से लोग सुरक्षित वनों की वजह से विस्थापित किये गये हैं और आज तक न तो उनका पुनर्वास किया गया और न ही वे मुआवजा पा सके हैं।

vkt d: txy & ftldk ,d cMk fgLlk dHkh ou {k= Fkk gh ugh&

ब्रिटिशकालीन भारत के समय से ही बने वन कानून आदिवासियों की जीवन पद्धति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति एवं लोकजीवन तथा आदिवासियों

की जमीनों को बलात् कब्जाने, तहस–नहस करने के ही हथियार रहे हैं।

अंग्रेजों द्वारा जंगलों को 'टिम्बर' के रूप में ही देखा गया अतएव जंगलों की लकड़ी की बेतहाशा कटाई के लिए वनों पर उनका कब्जा एक अनिवार्य शर्त बन गयी थी। इन वन कानूनों का दुरूपयोग पहले लकड़ी के लिए, आजादी के बाद औद्योगीकरण के लिए और अब वनों के संरक्षण के नाम पर किया जा रहा है।

19वीं शताब्दी में जंगलों की लकड़ी के बेरोकटोक दोहन के लिए अंग्रेजों ने पूरे देश के जंगलों में परम्परागत रूप से चली आ रही सामुदायिक वन प्रबंध प्रणाली को तहस–नहस करना शुरू किया। वैज्ञानिक वन प्रबंधन का बहाना बनाकर वे केवल लकड़ी की आपूर्ति में निरंतरता चाहते थे।

इसी जरूरत की पूर्ति के लिए नये ढांचों तथा प्रक्रियाओं की शुरूआत की गयी और वन अधिनियम आदि अस्तित्व में आये। इन कानूनों से सरकार को किसी भी वन क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर अधिसूचना जारी करने का अधिकार मिल गया जिसके तहत एक मुआवजा अधिकारी जमीन, वन उपज, चारे आदि के लिए पेश दावों का निपटारा करता था।

चूंकि ये सारी की सारी प्रक्रियायें तथा कानून समुदाय की जमीनों पर कब्जा जमाने के लिए थीं अतएव दावों के निपटारे का खेल, खेल ही बनकर रह गया। दावों के निपटारे के लिए या तो सर्वेक्षण किये ही नहीं गये या आधे–अधूरे कर के छोड़ दिये गये। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखण्ड, हिमाचल तथा उत्तराखण्ड जैसे राज्यों में व्यापक भू–भाग का न तो सर्वेक्षण किया गया और न ही आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता दी गयी। वन क्षेत्रों में जहां भी दावों को निपटाने की प्रक्रिया शुरू की गयी वहां पर समाज के कमजोर तबकों/ समुदायों, विशेष तौर पर आदिवासियों के अधिकार को अस्वीकृत किया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह प्रक्रिया और वीभत्स हो गयी क्योंकि राज्यों–रजवाड़ों–तालुकेदारों के अधीन आने वाली जमीन को फर्जी अधिसूचनाओं के जरिए वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। इसमें जमींदारों के साथ ही साथ आदिवासियों की निजी तथा सामूहिक कृषि भूमि भी शामिल थी।

भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में जंगलों में रहने वाले जिन आदिवासियों को विशेष संरक्षण देने का प्रावधान है उन्हीं आदिवासियों को जंगलों में अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया गया है। ये वे तथाकथित वनक्षेत्र (जंगल) हैं कुछ समुदायों का परम्परागत आवास रहे हैं। आदिम आदिवासियों के प्राकृतिक वास रहे हैं।

वन भूमि पर कब्जे की इस आसान व मनमानी नीति का खनन कंपनियों, पेपर मिलों, चाय, रबर व काफी उत्पादकों ने अपने व्यापारिक फायदे के लिए भरपूर उपयोग किया। इनके व्यावसायिक हितों को आदिवासियों–वनवासियों की गरीबी और असहाय स्थिति से भी बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि ये लोग बेहद सस्ते मजदूर थे। चूंकि इन्हें कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं था अतएव इन्हें कहीं भी विस्थापित कर दिया गया या खदेड़ दिया गया। इन सबका परिणाम यह हुआ कि जंगल और जंगली जानवर तो मरे ही उनमें रहने वाले लोग भी मारे गये या फिर पलायन कर गये।

अब इन्हीं आदिवासियों–वनवासियों को यह चुनौती दी जा रही है कि वे यह सिद्ध करें कि वे जंगल में रहते आये हैं ? उनके पास कृषि भूमि भी थी ? जंगलों में उनकी बसाहट थी ? उनके प्राकृतिक वास थे।

किससे वे यह बताने जायें कि उनकी जमीनों, बस्तियों, गांवों को जबरन वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ? उनका कत्लेआम किया गया, उन्हें उजाड़ा गया, पलायन करने को बाध्य किया गया और विस्थापित किया गया। गन्दे नालों के किनारे झुग्गियों में बसने, बंधुआ मजदूर बनने को विवश किया गया। सभी तरह के मानवाधिकारों से वंचित रखा गया।

क्या यह कानून इन सवालों का जवाब देगा ? या इस कानून के प्रावधान उनको न्याय दे पायेंगे ? तमाम सवालों के बीच खड़ा यह सबसे बड़ा सवाल है।

ekeyk ^i;kоj.k* ,o ^vkfFkd* l jkdkjk dk Hkh g

इस कानून के दो प्रमुख उद्देश्यों– ^vuqlfpr tutkfr;k@vkfnokfl;k ij tkjh vU;k; dk lekIr djuk* ,o ^ou dkuuk dh folxfr;k dk nj djuk* के अलावा इस कानून के उद्देश्यों में पर्यावरणीय–आर्थिक सरोकारों पर भी ध्यान देने की बात की गयी है।

भारतीय संविधान के प्रमुख संकल्पों में से एक 'समता' का इन सरोकारों से क्या सम्बन्ध है यह जानना और समझना भी महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कार्य होगा।

D;k dgrh g Hkkjrh; lfoèkku dh mísf'kdk&

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण–प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों कोः सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता – प्राप्त कराने के लिए तथा सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने हेतु.......................इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ....।''

पर्यावरण का खतरा/ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन है ? और इसका खामियाजा भुगत कौन रहा है ? किन आर्थिक सरोकारों की बात की जा रही है ? इसमें कौन खोयेगा और कौन पायेगा ? यह जानना भी दिलचस्प होगा कि 'पर्यावरण की रक्षा' का गुरूतर भार कौन उठायेगा ? कौन होगा मालामाल ? कैसे–कैसे बढ़ती जायेगी विषमता ? क्या होगा समता, समानता तथा सम्मान का ?

आदिवासियों/अनुसूचित जनजातियों के टिकाऊ विकास पर भी चिंता व्यक्त की जा रही है लेकिन यह टिकाऊ विकास/बाजार/उपभोक्तावाद

दुनिया में किस प्रकार वंचितीकरण तथा विषमता को बढ़ा रहा है यह किसी से छिपा नहीं है।

अभी हाल में ''जून के अन्तिम सप्ताह में स्टाकहोम पर्यावरण संस्थान ने स्वीडन में टिकाऊ विकास पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान एक चर्चित बयान जारी किया, जिसमें अफ्रीका में अकाल और भूख के लिए धनी देशों के उपभोक्तावाद को भी दोषी ठहराया गया है। संस्थान के कार्यकारी निदेशक जोहन राकस्ट्रोम ने कहा कि अगर धनी देशों ने अपनी उपभोक्तावादी जीवन–शैली में बदलाव नहीं किया तो इसका विकासशील देशों की रोजी–रोटी और खाद्य उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यहां तक कि उप–सहाराई अफ्रीका में खाद्य उत्पादन आधा हो सकता है। सवाल यह है कि अमेरिका और यूरोप में विलासितापूर्ण जीवनशैली से आखिर अफ्रीका में खाद्य उत्पादन क्यों कम होगा ? इसकी वजह बताते हुए राकस्ट्रोम ने कहा कि viuh miHkkDrkoknh thou 'kyh d fy, èkuh n'k fodkl'khy n'kk d ikdfrd lalkèkuk ij vfrØe.k dj jg g] ftlls ogk d vke vkneh dh [kkrh fdlkuh vkj jkth&jkVh ij ifrdy vlj iMrk gA lkFk gh foykflrk Hkjh thou 'kyh e xhu gkml xl dk vfèkd mRlthu fufgr g ftle tyok; cnyko vkj mlls tMh ikdfrd vkinkvk dk ldV xHkhj gkrk gA tkfgj g bldk [kk| mRiknu vkj fVdkÅ vkthfodk ij xgj :i ls udkjkRed iHkko iMrk gA..................................इस सोच में विषमता ही बुनियादी समस्या है। कुछ लोगों का बेहद विलासितापूर्ण जीवन जीना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरों के बढ़ते दुःख दर्द और यहां तक कि अकाल और भुखमरी से जुड़ा है (जनसत्ता, 7 अगस्त, 2007)।

इन विषमतापूर्ण स्थितियों में चिन्ता व्यक्त की जा रही है कि भूमण्डलीकरण के इस दौर में जब जल, जंगल, खनिज तत्व मुनाफा कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफा अर्जित करने के प्रमुख स्रोत बनाये जा रहे हैं तो कहीं इस कानून के ज़रिये वन संरक्षण के नाम पर जंगल कंपनियों को न सौंप दिये जायें। bl dkuu dh èkkjk 6¼1½ e fn; x; lkj vfèkdkj d vrxr xkelHkk d nk;j e txy dk fdruk ifr'kr fgLlk vkrk g& 8 l 10 ifr'krA ,l e tkfgj g 90

ifr'kr txy d 0;kolkf;d nkgu e vkfnoklh gd #dkoV ugh cuxkA

यदि जंगल का यह पूरा 90 प्रतिशत भाग सीधे तौर पर कंपनियों को दे दिया जायेगा तो पोल खुलने का डर बना रहेगा। अतएव जंगल का यह व्यापक भू–भाग कंपनियों को पर्यावरण बचाने और बायोफ्यूल के नाम पर दिया जायेगा और कहा जायेगा कि ऐसा करना व्यापक मानवता के हित में आवश्यक है। इसे व्यापक तौर पर 'ईको सर्विस' के रूप में प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। 'ईको सर्विस' का यह धन्धा जब पूर्णतया पल्लवित–पुष्पित हो जायेगा जो एक मोटे आकलन के अनुसार पूरी दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत के बराबर होगा। बायोफ्यूल, कार्बन उत्सर्जन ये सब इसी कारोबार के हिस्से हैं।

भूमण्डलीकरण का पहिया ज्यों–ज्यों गति पकड़ता जा रहा है वह अपने द्वारा किये गये विनाश की भरपाई के लिए भी मुनाफे बटोरने तथा प्राकृतिक संसाधनों पर कुण्डली मारकर बैठने की जुगत में लग गया है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु आवाजें उठ रही हैं तथा लामबंदी की प्रक्रिया तेज होती जा रही है।

'क्योटो प्रोटोकाल' के अन्दर ही औद्योगिक रूप से विकसित देशों ने जुगत बैठा ली है और 'समरथ को नहीं दोस गोसाईं' की परम्परा का अनुसरण करते हुए यह गुंजाइश अपने लिए बना ली कि– कोई भी देश कार्बन उत्सर्जन सीधे तौर पर कम करने के बजाय – उसे किसी अन्य देश से (जहां यह एक निर्धारित स्तर से कम है) खरीद सकेगा। इसके लिए वह देश या तो कार्बन उत्सर्जन को सोखने के लिए वनीकरण करेगा या पन बिजली या अन्य तरह से प्रदूषण न फैलाने वाले उत्पादन के साधन अपनायेगा।

इसका तात्पर्य यह है कि अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगेगी बल्कि पहली योजना के तहत कार्बन उत्सर्जन सोखने के लिए व्यापक पैमाने पर वनीकरण किया जायेगा। भारत जैसे देशों में वनीकरण की अपार संभावना देखी जा रही है। यहां करोड़ों हेक्टेअर उजड़े वनों में यह वनीकरण संभावित है। भूमंडलीकरण, निजीकरण,

विश्व व्यापार संगठन एवं व्यावसायीकरण के इस दौर में निश्चित तौर पर सरकार यह कहेगी कि वनीकरण के लिए उसके पास संसाधन नहीं हैं तथा आह्वान करेगी कि देशी–विदेशी कंपनियां मानवता के हित में पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आयें । निजी कंपनियां आगे आयेंगी – बैंक उन्हें पैसे उपलब्ध करायेगा और वनीकरण का काम यही देशी–विदेशी कंपनियां करेंगी। ये कंपनियां अपने पैसे से पेड़ लगायेंगी और फिर इन पेड़ों को कार्बन उत्सर्जन के लिए अमानत के तौर पर रखकर मुनाफा कमायेंगी।

दूसरी योजना बायोफ्यूल यानी जैविक ईंधन की है। इसके लिए रतनजोत या जटरोफा का वनीकरण किया जायेगा। जटरोफा के बीज से तेल निकालकर पेट्रोल–डीजल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा। इसके प्रयोग भारत के छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में शुरू भी कर दिये गये हैं। जटरोफा की झाड़ियां लगाने के लिए पूरे देश में करोड़ों हेक्टेअर जमीन चिह्नित की जा रही है।

bl rjg xhu gkml xlk dk mRltu lk[ku vkj ck;k¶;y d tfj, mRltu de dju tlh i;koj.kh; irjckth d tfj; cMh&cMh n'kh&fon'kh diifu;k Hkkjr dh djkMk gDVvj ouHkfe dk viu dCt e dj yxhA

बैंकों, कंपनियों में लगने वाली पूंजी केवल मुनाफा कमाने के लिए होती है। सेवा या कल्याण के लिए नहीं। चेयरमेन एवं सी.ई.ओ. (फेरिस बेकर वाट्स) का कहना है कि ^-------gekjk lgk;rk dk;Øe bl ckr ij dfUnr gkrk g fd og fodkl'khy n'kk e ,l ifjo'k dk fuek.k dj tgk ij vejhdh 0;kikj ,o fuo'k Qy&Qy------A*

bu difu;k d bjkn D;k g \ ,dne lkQ gA n[k ^---------------tc dkdkdkyk dk dkbl vfèkdkjh c'ke gdMh d lkFk ?kk"k.kk djrk g fd ml nfu;k d ml vkf[kjh 0;fDr dh ryk'k g tk èkjrh d fdlh dku e l;kl l ej jgk gk rkfd o ml rd viuk ckrycn ikuh igpk ld--------------A*

उपरोक्त दोनों योजनायें जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बतायी जा रही हैं

क्या इनसे पर्यावरण बचेगा या इन योजनाओं से कंपनियों के अलावा किसी और के आर्थिक हित सिद्ध होंगे।

समझने की जरूरत यह है कि पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण में फर्क है। कार्बन उत्सर्जन सोखने के लिए जो पेड़ लगेंगे वे व्यावसायिक तथा एकल प्रजाति के होंगे। बायोफ्यूल के लिए उपयुक्त बताया जा रहा जटरोफा जमीन को न सिर्फ बंजर करता है बल्कि अन्य पौधों की बढ़ोत्तरी भी बाधित करता है। यही नहीं यदि जटरोफा को बड़े पैमाने पर लगाया जाता है तो खाद्यान्न संकट फैल सकता है।

vkfnoklh txy dk bLreky viuh U;ure t:jrk d fy, djr g& 0;kikfjd nkgu d fy, ughA txy cpku g rk ogk jgu oky lenk;k dk vfèkdkj lEiUu cukuk gkxkA ou l ink ij ;fn d ifu;k dk dCtk dk;e dju dk volj fn;k x;k rk txyk d mtMu dh ifØ;k bruh rt gk tk;xh fd mudh Hkjikb l Hko ugh gkxhA

vr,o ,d NkV l Hk&Hkkx ij vkfnokfl;k dk vfèkdkj n nu l vkj 0;kid Lrj ij py jgh lkft'kk l vk[k pjkdj u rk ou cp ik;x vkj u ouoklhA

i;koj.k lj{k.k d uke ij d ifu;k Qy&Qyxh vkj vkfnokfl;k dh vkfFkd gkyr cn&l&cnrj gkrh tk;xhA

इन संकटों से वन एवं वनवासियों को बचाने का कोई प्रावधान इस कानून में है ? संविधान के प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रीय घोषणायें जो आदिवासियों एवं जंगल की रक्षा के लिए हैं पर अमल करने का भी कोई इरादा है ?

D;k nj gk x;h g ou dkuuk dh fol xfr;k \

इस नव निर्मित कानून के बहुप्रचारित दूसरे उद्देश्य जिसके तहत यह दावा किया जा रहा है कि मौजूदा वन कानूनों की विसंगतियों को दूर कर लिया गया है। इसकी वास्तविकता को समझने की जरूरत है।

जैसी पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय राजाओं–सामंतों–जागीरदारों के विपरीत अंग्रेजी हुकूमत ने वनों को अपने अधिकार में लिया और इस समझदारी को स्थापित करने का प्रयास किया कि जन को वन से अलग रखकर ही वनों को बेहतर रूप से संरक्षित किया जा सकता है। इस सोच को वैचारिक आधार मानकर ही वन विभाग, वन कानून तथा संरक्षित वन आदि के कार्य ब्रितानी शासकों ने भारत में किये। आगे चलकर यही सोच आजाद भारत में भी जारी रही है।

इसीलिए जब इस कानून का प्रस्तावित मसौदा बहस के लिए जारी किया गया था उस समय भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस प्रस्तावित कानून पर आपत्तियां दर्ज की थीं। इन आपत्तियों को यदि हम देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मंत्रालय की सोच का वैचारिक आधार ब्रिटिश कालीन ही है जिसमें जन एवं वन के सह–अस्तित्व को खारिज किया जाता रहा है। मंत्रालय का कहना था – इससे वन भूमि घटेगी, पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी, जैव विविधता, वन्य जीव तथा लोगों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और समाज के व्यापक हित में यह कानून हानिकारक सिद्ध होगा।

क्या वन अधिनियम, वन नीति, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा वन्य (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा सामने खड़ी की गयी परस्पर विरोधी विसंगतियों को दूर कर लिया गया है ? क्या हैं ये कानूनी दिक्कतें–

- वन मंत्रालय का कहना था कि इस तरह के कानून बनाने की कोई

आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वन (संरक्षण) कानून 1980 तथा तद्नुसार 1990 में जारी किये गये दिशा–निर्देश में पर्याप्त प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। जरूरत केवल इस बात की है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को ठीकठाक करा लिया जाय तथा वन में ऐसे अतिक्रमण जो नियमित किये जाने की पात्रता वाले हों उन्हें नियमित करा दिया जाय। (मंत्रालय की मीटिंग, दिनांक 19.01. 2005 की सिफारिशें–फैसले)।

- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का यह भी कहना है कि भारत सरकार के कार्यभार एवं जिम्मेदारी (ट्रांजैक्शन आफ बिज़नेस) नियम 1961 के अनुसार 'वन' के संदर्भ में सारी जिमेदारी वन विभाग की है। अतएव वन भूमि पर किसी को मान्यता देने का काम इसी मंत्रालय का है। इस संदर्भ में जनजाति मामलों के मंत्रालय समेत किसी भी मंत्रालय को दखल देने का अधिकार नहीं है। वन मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों में सुधार हेतु एक शपथ–पत्र दाखिल कर रखा है।

  ऊपर वर्णित वर्ष 1961 के नियमों के रहते क्या वन मंत्रालय का कहना उचित नहीं है ? क्या इन दो मंत्रालयों की कार्यमंत्रणा का विवाद सुलझा लिया गया है ?

- वन मंत्रालय का यह भी मानना है कि वर्ष 1990 के दिशानिर्देशों को लागू करने हेतु प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने भर की जरूरत है बाकी सारे प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं।

  दिशानिर्देशों के जारी होने के 15 साल बाद इसे लागू करने के तौर–तरीकों के बारे में मंत्रालय को चिंता हुई। यह मंत्रालय की गंभीरता तथा कार्यक्षमता का जीता–जागता नमूना है।

- वन अधिकार कानून 2006 के तहत किये गये प्रावधान भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तथा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्रावधानों से असंगत हैं।

  क्या इन कानूनों को वापस ले लिया गया है ? या इनके कानूनी द्वन्द्व की एक उर्वरा भूमि तैयार कर ली गयी है।

- यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 वन भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा देगा और स्थिति भयावह हो जायेगी।

  यदि ऐसा होता है तो इससे निपटने के क्या तरीके होंगे ? असरदार लोग यदि भ्रष्ट प्रशासन से मिलकर ऐसा करते हैं तो क्या किया जायेगा ?

- वन विभाग की यह भी आपत्ति है कि वन, वन्यजीव तथा पर्यावरण का नोडल मंत्रालय होने के बावजूद भी इस नये कानून में उसकी भूमिका समाप्त–सी कर दी गयी है।

सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्देशों का क्या होगा जिसके अन्तर्गत न्यायालय ने निम्न निर्देश दिये हैं–

- आरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों को अनारक्षित करने पर प्रतिबंध।
- अतिक्रमणों को किसी भी स्थिति में मान्य न किया जाय।
- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के दिनांक 5 फरवरी 2004 के आदेश के अमल पर रोक।

देश में दो प्रमुख वन कानून हैं– वन्य प्राणी संरक्षण कानून 1972 और दूसरा है वन संरक्षण कानून 1980। ये दोनों कानून ब्रिटिशकालीन कानूनों के प्रावधानों से भरे पड़े हैं तथा भारत में वन–वनवासी तथा वन्य प्राणियों के प्राचीन रिश्ते को नकारते हैं। ये दोनों कानून आदिवासियों के बचे–खुचे अधिकार को खतम करते हुए उनको जंगलों का विनाशक घोषित करते से दिखते हैं। हकीकत तो यह है कि आजाद भारत के इन कानूनों ने अंग्रेजों के समय में आदिवासियों के साथ किये गये ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने की बजाय इसे और आक्रामक बनाया है।

क्या इन कानूनों को वापस ले लिया गया है ? क्या इन कानूनों के प्रावधानों से भारत सरकार ने असहमति जतायी है ?

मध्य प्रदेश के 'बोरी क्षेत्र' की तरह कितने स्थानों पर यह प्रावधान

वनवासियों को बलात् पलायन के लिए बाध्य करेगा। सन् 1862 में अंग्रेजों द्वारा जबरन छीनी गयी जमीन वापस पाने के लिए 'बोरी क्षेत्र' के लोगों के प्रतिवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (वर्ष 2000 ई.) के बावजूद भी आदिवासी अपनी जमीन वापस नहीं पा सके। होशंगाबाद के कलेक्टर ने वन्य प्राणी संरक्षण कानून 1972 का हवाला देते हुए कहा कि 1862 में ही आरक्षित वन बनाते समय यह तय हो गया था कि आपके अधिकार क्या होंगे ? यह कहते हुए आदिवासियों के दावे और आपत्तियां कलक्टर ने खारिज कर दीं और सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षित क्षेत्रों में लोगों के अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश धरा का धरा रह गया।

क्या 1972 के इस कानून के रहते संरक्षित वन क्षेत्र से खदेड़े गये आदिवासी अपनी पैतृक विरासत पर काबिज़ हो पायेंगे ? किस कानून ने (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय) आदिवासियों को उजाड़कर उनकी जमीन पर संरक्षित वन बनाने की इजाजत दी ? अधिग्रहण और किस–किस चीज का अधिग्रहण और किस सीमा तक ? कौन तय करता है इसे ? बलात् कब्जा किस–किस पर– जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति, जीविका, भोजन तथा जिंदा रहने के सारे उपादान पर ?

क्या इन अन्तर्विरोधों का समाधान कर लिया गया है ? विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की भूमिकायें स्पष्ट कर ली गयी हैं ? इस अधिनियम को लागू करने की प्रक्रियाओं से संबंधित दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं। क्या वन मंत्रालय की बुनियादी समझदारी में परिवर्तन आ गया है ? वन और जन को अलग–अलग देखने की समझदारी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले से संबंधित मंत्रालय के अंतर्विरोधों को देखकर और स्पष्ट हो जाती है ? केन्द्र सरकार के रथ के ये घोड़े अलग–अलग दिशाओं में न जायें इसका क्या उपचार हो सकता है ? अलग–अलग मंत्रालयों की अलग–अलग सोच देखकर यह समझ में आना बड़ा मुश्किल लगता है कि वास्तव में सत्तासीन सरकार की इस विषय पर क्या सोच है ? क्या दिशा और दर्शन है ? और इन स्थितियों में इस नव–निर्मित कानून का क्या हश्र होगा, सहज रूप से समझा जा सकता है।

vuqlfpr tutkfr o vU; ijEijkxr ou fuoklh ¼ou vfèkdkjk dk ekU;rk½ vfèkfu;e 2006

इस अधिनियम को 13 दिसंबर 2006 को संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति ने 29 दिसंबर 2006 को इस पर अपनी सहमति दी तथा 2 जनवरी 2007 को भारत के गजट में इसे प्रकाशित कर इसी दिन से इसे प्रभावी बना दिया गया। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़ पूरे भारत में लागू होगा।

इस अधिनियम के प्रारूप को बहस एवं सुझाव के लिए जारी करते समय आदिवासी मामलों के मंत्रालय (जिस पर इस प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी थी) ने यह स्वीकार किया कि वनों में रहने वाले आदिवासियों का वनों से अटूट संबंध है . . . . . वनों एवं भूमि पर इनका कब्जा रहा है पर उस पर इनको अधिकार/मान्यता न देने की ऐतिहासिक नाइंसाफी हुई है . . . . .। (भारत सरकार, मिनिस्ट्री आफ ट्राइबल अफेयर्स, पत्र सं. 17014/4/2005–एस एण्ड एम दिनांक 03 जून 2005)।

प्रारूप को जब बहस के लिए जारी किया जा रहा था तो उसके उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि ouk e fuokl dju okys vuqlfpr tutkfr;k d lkFk fd; x; ,frgkfld vU;k; dk lekIr djuk bl iLrkfor dkuu dk iee[k mís'; gA

वास्तव में बार–बार जिस ऐतिहासिक भूल की चर्चा की जा रही है वह भूल थी या किसी सोची–समझी योजना का हिस्सा/या उस अवैज्ञानिक वैचारिक विपन्नता का प्रतिफलन जो वन एवम् वनवासी को अलग–अलग इकाई के रूप में देखती है।

अनुसचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 न सिर्फ़ आदिवासियों और जंगलों में रहते आ रहे अन्य समुदायों के लिए एक निर्णायक पहल है बल्कि यह पूरे भारतीय समाज पर एक दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।

इस अधिनियम में मुख्यतया यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि –

- ouk e dku jg ldrk g \ ouk l vkfnokfl;k d 'kk'or fj'rk dh D;k lhek gkxh rFkk ml lhek dk fuèkkj.k dku djxk \ ou mitk rd mudh igp gkxh fd ugh \ vkj ;g igp fdl lhek rd \

Û vkfnokfl;k dk ml Hkfe ij fdl rjg dk vfèkdkj gkxk ftl ij o dkfct g \ mud Hkfe vfèkdkj dku l g vkj ; dl fuèkkfjr gkx \ fuèkkj.k dh ifØ;k D;k gkxh \

Û D;k mUg vU;= clk;k tk ldrk g ;k ugh \ ;fn mUg vU;= clk;k ;k LFkkukUrfjr fd;k tkrk g rk fdu gkykr ,o 'krk ij \

इन्हीं सवालों के इर्द–गिर्द घूमता यह कानून आदिवासियों के वन अधिकारों एवं आर्थिक, पर्यावरणीय सरोकारों के बीच संतुलन कायम करने का प्रयास करता दिखता है। एक व्यापक तबका इस बात से भी चिंतित है कि इस कानून के चलते D;k ou LFkkuh; lenk; d dCt e jgdj n'kfgr e 0;kid :i l bLreky gkx ;k 0;kolkf;d ifr"Bkuk@difu;k ¼n'kh@fon'kh½ d pkjkxkg d :i e rCnhy gk tk;xA सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि ब्रितानी हुकूमत के समय से ही आदिवासियों पर हो रहे ऐतिहासिक अन्याय को रोका जा सकेगा या नहीं ? क्योंकि इस कानून को बनाने के पीछे घोषित जिन उद्देश्यों की चर्चा कानून निर्माताों ने की थी उनमें इस ऐतिहासिक अन्याय को रोकना तथा तमाम वन अधिनियमों की विसंगतियों को दूर करना शामिल था।

वास्तव में इस अधिनियम के अस्तित्व में आने की भूमिका राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एन.ए.सी.) की संस्तुति से हुई जिसमें एन.ए.सी. ने आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अनुशंसायें की थीं। इसमें आदिवासियों के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाना भी शामिल था।

इस विषय पर एक कारगर कानून बनाने की मांग आदिवासी बहुल इलाकों से लगातार उठती रही है। वन और वनवासियों के हितों में कार्यरत ताकतें इस तरह के कानून के लिए एक लम्बे समय से मांग करती रही हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कानून का प्रारूप तैयार करने का निर्देश अनुसूचित जाति–जनजातियों/ आदिवासियों से संबंधित मंत्रालय (मिनिस्ट्री आफ ट्राइबल अफेयर्स) को दिया गया।

मंत्रालय ने प्रारूप तैयार करके 3 जून 2005 को एक सूचना जारी करके प्रस्तावित मसौदे पर राय तथा सुझाव आमंत्रित किये। इन सुझावों को सुनने तथा इन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का भी गठन किया गया। सुझावों, सलाहों तथा आपत्तियों पर विचार करने के बाद इसे संसद के समक्ष रखा गया। संसद ने इसे पारित कर राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए अग्रसारित किया।

vu|lfpr tutkfr o vU; ijEijkxr ou fuoklh ¼txy ij vfèkdkj dk ekU;rk½ dkuu 2006 d ie|[k ikoèkku

इस कानून में निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान हैं—

- अनुसूचित जनजाति व परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 में जंगलों में रहने वाले ऐसे अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वनवासियों के भूमि अधिकार को मान्यता दी जायेगी जो 13 दिसम्बर 2005 के पहले से भूमि पर काबिज हैं।
- एक व्यक्ति, एकल परिवार, सामुदायिक प्रयोग हेतु किसी भी हालत में 4 हेक्टेअर से अधिक जमीन नहीं दी जायेगी। इस अधिकतम सीमा में सभी तरह के जंगल की भूमि शामिल होगी।
- वन की 'कोर एरिया' में अवस्थित भूमि पर शुरू में 'अस्थायी भूमि हकदारी' दी जायेगी। 5 वर्ष के अंदर ऐसे परिवारों को अन्यत्र भूमि उपलब्ध करायी जायेगी या मुआवजा दिया जायेगा। यदि यह कार्य 5 वर्ष के भीतर न हो पाया तो संबंधित परिवार को 'भूमि पर स्थायी हकदारी' दे दी जायेगी।
- कानून में 12—13 वन अधिकार दिये गये हैं जिनमें जंगल में रहने, स्वयं खेती करने, लघु वन उपजों का उपयोग करने के अधिकार शामिल हैं।
- वन्य जीवों के शिकार करने या पकड़ने पर प्रतिबन्ध होगा।
- ग्रामसभा को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि वह 'वन अधिकारों' के विस्तार के संदर्भ में पहल करके किसी व्यक्ति या परिवार को यह अधिकार उपलब्ध कराये।

इस कानून में निम्न बातें स्पष्ट नहीं हैं और आशंकाओं को जन्म देती हैं–

- इस कानून में कोई विश्वसनीय आकलन इस बात का नहीं दिया गया है कि इसका लाभ कितने परिवारों/लोगों को मिलेगा। इसलिए यह भी अज्ञात ही है कि वनाच्छादित भूमि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
- यदि वनों के 'कोर एरिया' से 5 वर्षों के अंदर वनवासियों को स्थानान्तरित नहीं किया गया तो इससे जंगलों को क्षति पहुंचेगी तथा वन्य प्राणियों की कुछ निश्चित नस्लों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ यदि वनवासी परिवारों को व्यापक पैमाने पर अन्यत्र स्थापित किया जाता है तो इससे उनका उत्पीड़न बढ़ेगा।
- इस कानून में ऐसे समुदायों/लोगों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है जो वनों में रहते तो नहीं परंतु अपनी जीविका के लिए वनों पर आश्रित हैं और ये अनुसूचित जनजाति या परम्परागत वनवासी समुदाय के भी नहीं हैं।
- कानून में पात्रता सिद्ध करने की 'कट आफ डेट' (13 दिसंबर 2005) तो तय कर दी गयी है परंतु अपनी हकदारी सिद्ध करने के सुबूत क्या–क्या होंगे यह नहीं बताया गया है।
- 'आजीविका' जैसे कई प्रावधानों को व्याख्यायित नहीं किया गया है इससे विवाद को आधार मिलेगा तथा कानून को लागू करने में अनावश्यक विलम्ब होगा।

dkuu dk [k.M I ,oa II

इस कानून के भाग–1 में ऐसे शब्दों/पदावलियों की व्याख्या की गयी है जिनका प्रयोग इस कानून में किया गया है।

इनमें प्रमुख पदावलियां हैं– 'कम्युनिटी फारेस्ट रिसोर्स', 'क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट', 'फारेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स', 'फारेस्ट लैण्ड', 'फारेस्ट राइट्स', 'फारेस्ट विलेज', 'ग्राम सभा', 'हैबिटेट', 'माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस', 'नोडल एजेंसी', 'नोटीफिकेशन', 'प्रेसक्राइब्ड', 'शेड्यूल्ड एरियाज़', 'अदर ट्रेडिशनल फारेस्ट ड्वेलर्स', 'वाइल्ड एनिमल' आदि।

इन पदावलियों की व्याख्या करते समय सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये वन कानूनों, पर्यावरण कानूनों के प्रावधानों को ही स्वीकार किया गया है। जैसे बायोलाजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, पेसा 1996, वाइल्ड लाइफ (प्रिवेंशन) एक्ट 1972 इत्यादि।

bu dkuuksa dh rFkk bl dkuu dh vkilh folaxfr;ka ekStwnk dkuu ds mís'; dks è;ku ls ns[kus ij Li"V gks tkrh gSA ekStwnk dkuu tgka vkfnokfl;ksa dk vfèkdkj lEiUu cukus ij T;knk tksj nsrk gS ogha blds iwoZ ds cus dkuu i;kZoj.k laj{k.k] oU; tho laj{k.k rFkk ou {ks=ksa ds vkdkj esa of) ij T;knk tksj nsrs gSA ;s nksa rjg ds dkuu fdl izdkj ds erHksnksa dks tUe nsxs ;g Hkfo";; ds xHkZ esa gSA

हालांकि दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि सभी पदावलियों को परिभाषित किया गया है परंतु कई ऐसी पदावलियां भी हैं जो स्पष्ट नहीं हैं।

dku gS tuxyksa dk vfèkdr fuoklh \ ewy fuoklh \

इस कानून के धारा 2 की उप धारा सी एवं ओ को देखने से यह साफ तौर पर समझ में नहीं आता कि जंगलों का 'मूल निवासी' किसे माना जाय तथा किसे 'अन्य परम्परागत वन निवासी' माना जाय।

यहां तक कि इस कानून की धारा 14 की उपधारा 1 एवं 2 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कानून के प्रावधानों को लागू करने–आगे बढ़ाने के लिए जो अधिसूचना 19 जून 2007 को जारी की गयी है तथा नियम बनाये गये हैं उसमें भी इस मामले में स्पष्टता नहीं है।

इस अस्पष्टता से जो समस्यायें पैदा होंगी उनमें से प्रमुख हैं–

- अपने को मूल निवासी सिद्ध करने के लिए कोई भी व्यक्ति जंगल में बसे किसी भी व्यक्ति की जमीन पर अपनी झोपड़ी बनाकर यह कार्य कर सकता है।
- इसी कानून में वर्णित परिभाषा के अनुसार ही वनभूमि को परिभाषित किया जायेगा और यदि राजस्व विभाग किसी जमीन को 'गैर वन क्षेत्र' में नहीं दर्शाता तो वह भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत मानी जायेगी और उस पर काबिज व्यक्ति अपने आपको वनवासी कह सकता है।
- कानून की धारा–2 की उपधाराओं (सी) एवं (ओ) की शर्तों को यदि कोई व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो वह जंगलों पर अपनी हकदारी नहीं पा सकेगा।
- ऐसे लोग जो तथाकथित वन क्षेत्र भूमि पर नहीं रहते हैं परंतु अपनी आजीविका के लिए वनों पर आश्रित हैं– को भी दावेदार नहीं माना जायेगा।
- जहां पर यह प्रावधान किया गया है कि '. . . . . वे वनभूमि और वनों पर अपनी दैनिक जरूरतों के लिए यथार्थ रूप से निर्भर हों . . . .' (धारा–2, उपधारा– सी एवं ओ)।

  यहां पर यथार्थ शब्द की व्याख्या अपने हिसाब से की जा सकती है तथा कभी भी कहा जा सकता है कि आपकी निर्भरता यथार्थ नहीं है। अब समस्या यह खड़ी होगी कि आजीविका क्या है ? जरूरतें क्या हैं ? तथा यथार्थ क्या है ? – यह कैसे कौन तय करेगा ?
- दावेदार के बारे में यह भी शर्त है कि यदि वह अनुसूचित जनजाति का है तो उस क्षेत्र से होना चाहिए जो अधिसूचित हो (धारा 2(सी) और 4(1)।

अनुसूचित जनजाति की सूची में हर समुदाय को उसके नाम के आगे दर्ज किया गया है। जहां तक अधिसूचित क्षेत्र की बात है वह कभी पूरा प्रदेश हो सकता है या कभी प्रदेश या जिले का एक हिस्सा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए Hkhy lenk; dk eè; in'k] egkjk"V] xtjkr] dukVd] jktLFkku vkj f=ijk e vfèklfpr fd;k x;k gA bu jkT;k e rk Hkhy vulfpr tutkfr d :i e ekU; g ijr bu jkT;k d ckgj ;k bu jkT;k d vfèklfpr {k=k l ckgj jgu oky Hkhy vulfpr tutkfr d :i e ekU; ugh gA अतएव इन हालात में ये दावेदार नहीं हो सकते। परंतु परम्परागत वनवासी के रूप में ये अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं।

शताब्दियों से उत्पीड़न, शोषण तथा उत्पीड़न के शिकार आदिवासी अपनी बस्तियों, खेतों, जंगलों, इलाकों से बेदखल किये जाते रहे हैं। पलायन तथा विस्थापन के शिकार रहे हैं ऐसी स्थिति में वे लोग जो अपने क्षेत्रों से विस्थापित किये गये हैं तथा ऐसे क्षेत्रों में बस गये हैं जहां वे अनुसूचित नहीं हैं वे अनूसूचित जनजाति के तहत कोई दावेदारी नहीं कर सकते। जैसे mÙkj in'k d ^dky* rFkk vle d ^lFkky ijxuk*A

- कोई ऐसा दावेदार जो अनुसूचित जनजाति का होते हुए भी ऐसे क्षेत्र में रह रहा है जहां उस जनजाति को अनुसूचित नहीं किया गया है तो उन्हें अपनी दावेदारी के लिए यह सिद्ध करना होगा कि वे तीन पीढ़ियों (75 सालों) से उस वन क्षेत्र में रह रहे हैं।

इस प्रावधान से गैर अनुसूचित जनजातियों को भी दावेदारी का हक मिलता है (धारा–1 (ओ))। यह धारा निर्देशित करता है कि दावेदार को 13 दिसंबर 2005 से पहले तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से अर्थात् 1930 ई. से वन भूमि पर काबिज रहना चाहिए। इस तरह की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि दावेदार व्यक्ति की तीनों पीढ़ियां उसी वनभूमि में 1930 ई. से रह रही हों। व्यक्ति ऐसी स्थिति में भी दावेदारी का हकदार है यदि उसका समुदाय वनभूमि पर 1930 ई. से रह रहा हो।

इस परिभाषा तथा प्रावधान की दोहरी मार देखने को मिलेगी। एक तरफ तो दावेदारों से इस बात का सबूत मांगा जायेगा कि वे उसी वनभूमि पर 1930 ई. से काबिज हैं जिसकी वे दावेदारी कर रहे हैं। ऐसा दावा करने वाले यदि यह प्रमाणित कर सकें कि उन्हें जबर्दस्ती अन्यत्र विस्थापित किया गया है तो वे भी दावेदार हो सकते हैं। लेकिन वे आदिवासी जो ब्रिटिश कालीन भारत में हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए दूसरी जगहों की ओर चले गये (ये जबरन विस्थापित की कोटि में नहीं आते) या जो रोजी–रोटी की तलाश में पलायन कर गये वे दावेदारों की कोटि में आयेंगे कि नहीं ? यह भी स्पष्ट नहीं है।

दूसरी तरफ दावेदारी का दरवाजा सेठ, साहूकारों–सूदखोरों तथा व्यापारियों के लिए भी खुलेगा (जो आदिवासियों का शोषण–उत्पीड़न करके पल्लवित–पुष्पित हुए हैं) और वे भी 'अन्य परम्परागत वन निवासी' की कोटि में अपने को रखकर यह कह सकते हैं कि वे भी तीन पीढ़ियों से वन भूमि पर काबिज हैं और वन ही उनकी आजीविका का आधार है और यह तथ्यपूर्ण भी है कि कई बाहरी तत्व भी (गैर अनुसूचित जनजाति) तीन–चार पीढ़ियों से वनों में रहते आये हैं जिनमें वनों के ठेकेदार, टिम्बर व्यापारी, वन माफिया तथा अवैध खनन–शिकार करने वाले लोग भी शामिल हैं।

सरकारी कार्यपद्धति का तमाम क्षेत्रों तथा कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने का जो अनुभव रहा है उससे इस बात की प्रबल संभावना है कि कानूनी दांवपेच, खानापूर्ति का सहारा लेकर उन तबकों का ही ज्यादा भला होगा जिनसे सरकारी मशीनरी का हित सिद्ध होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि 1930 के बाद वनों में बसने वाले असली अनुसूचित जनजाति के वनवासी, वनग्राम व अन्य लोग कानून के दायरे से बाहर हो जायें तथा 'अन्य परम्परागत वन निवासी' की कोटि में आने वाले बाहरी तत्व–जिनकी 3 पीढ़ियां जंगल में रहती आयी हैं– मुख्य दावेदार हो जायें।

tehu dh gdnkjh % leL;k;

- अधिकतम सीमा 4 हेक्टेअर कैसे लागू होगी– यदि किसी दावेदार के कब्जे में 13 दिसंबर 2005 के पहले से व्यक्तिगत रूप में या

दूसरों के साथ मिलकर 4 हेक्टेअर से ज्यादा जमीन है तो 4 हेक्टेअर की अधिकतम सीमा कैसे लागू होगी ? उन्हें व्यक्तिगत पट्टा मिलेगा या जमीन पर आम पट्टा दिया जायेगा। देखें धारा 3(ए) एवं धारा 4(6)।

- पट्टे, लीज एवं दान में मिली भूमि (धारा 3जी) को यदि वन विभाग द्वारा विवादित करार दिया जाय तो भी दावेदार को इन पट्टों, लीज या दान के प्रमाण को निर्विवाद कानूनी साक्ष्य के रूप में बदलवाने का अधिकार होगा।

  इसकी प्रक्रिया तथा आधार अस्पष्ट है जो मनमानी का स्रोत बन सकता है।

- यदि कोई दावेदार अपनी भूमि का वनभूमि में होने का विवाद जताता है तो विवादित भूमि के रूप में वनभूमि पर दावे के निपटारा न होने की स्थिति में या दोषपूर्ण होने पर वह उस भूमि पर पट्टे का दावा कर सकता है। (धारा 3(एफ)।

  यहां पर समस्या यह आयेगी कि फर्जी दस्तावेजों–सबूतों के आधार पर दावा करके फैसले को विवादित बताकर–दोषपूर्ण बताकर कोई भी पट्टे के लिए दावा कर सकता है।

- इस कानून के तहत किसी भी दावेदार को दी गयी भूमि/भूमि पट्टा किसी को भी न तो बेचा जा सकता है और न तो स्थानांतरित किया जा सकता है। यह पट्टा कब्जाधारी जमीन के मालिक के बच्चें व उसके उत्तराधिकारियों के उपयोग के लिए होगा।

;gk nks leL;k;sa gS ,d rks ;g fd vgLrkarj.kh; dk vFkZ ;g ugha gS fd Hkwfe dks fdjk;s ij ugha fn;k tk ldrk ;k cèkd ugha j[kk tk ldrk] nwljh ;g fd Hkwfe vfèkxzg.k vfèkfu;e ds rgr dHkh Hkh bu tehuksa ls ou fuokfl;ksa dks csn[ky fd;k tk ldrk gSA dkuwu bu fcUnqvksa ij [kkeks'k gSA

[k.M& III

इस अध्याय में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों के प्रावधानों को रखा गया है। इसमें मुख्य हैं– (जिनका वर्णन अधिनियम की धारा 3(1) में है–)

- वनभूमि पर हक तथा रहने का अधिकार
- निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार
- लघु वन उत्पादों तक पहुंच, संग्रहण, उपभोग और निपटान का अधिकार
- जलाशयों, जलाशयों की मछली और अन्य उत्पादों पर अधिकार
- यायावर और चारागाही समुदायों को उनके सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार
- प्राचीन जनजाति समूहों या कृषि–पूर्व समुदाय के सदस्यों को आवास का अधिकार
- विवादित भूमियों पर अधिकार
- पट्टे, लीज और अनुदानों के संपरिवर्तन का अधिकार
- वन ग्रामों और अलेखबद्ध बस्तियों को राजस्व गांवों में संपरिवर्तित कराने का अधिकार
- सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, पुनरूत्पादन, संरक्षण तथा प्रबंधन का अधिकार
- स्वशासी जिलापरिषदों और क्षेत्रीय परिषदों में अधिकार
- बौद्धिक सम्पदा और जैव–विविधता का अधिकार
- स्वस्थान पर पुनर्वास का अधिकार
- विस्थापितों के लिए भूमि का अधिकार।

अधिनियम की धारा 3(2) में प्रावधान है कि विद्यालयों, अस्पतालों, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों, बिजली एवं फोन की लाइनों, तालाबों, पेयजल आपूर्ति एवं पाइप लाइन, वाटर हारवेस्टिंग ढांचा, छोटी नहरों, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, सड़कों एवं सामुदायिक केन्द्रों के लिए केन्द्रीय सरकार वन

भूमि उपलब्ध करायेगी। लेकिन यह भूमि उपरोक्त वर्णित प्रत्येक उद्देश्य हेतु हर हालत में एक हेक्टेयर से कम होगी और इन कार्यों हेतु ग्रामसभा की सहमति तथा संस्तुति आवश्यक होगी।

y?k ou mRiknk ij gdnkjh

इस मामले को इस कानून की धारा 2(आई) तथा धारा 3(सी), 3(डी) में स्थान दिया गया है तथा परिभाषित करने की कोशिश की गई है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि लघु वन उत्पादों का आदिवासी समुदाय की अधिसंख्य आबादी से सीधा सरोकार रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय में पेसा के प्रावधान, वन संरक्षण अधिनियम तथा पंचायतें जिला परिषदें भी महत्वपूर्ण पक्ष हैं।

इस कानून में वनवासियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे लघु वन उत्पादों जैसे बांस, जलाऊ लकड़ी, ठूंठ, टसर, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू का पत्ता, औषधीय पौधे, कन्दमूल, जड़ों का उपयोग कर सकते हैं धारा (2) की उपधारा (आई), परंतु फल, फूल, घास, हरे पत्ते आदि पर हकदारी के विषय में कानून खामोश है। धारा (3) की उपधारा (डी) के अंतर्गत मछली एवं जल पर आधारित अन्य जीवों पर भी अधिकार होने की बात कही गयी है परंतु 'अन्य जीवों' को परिभाषित नहीं किया गया है।

,l lHkh y?k ou mRikn ftudk lxg.k rFkk miHkkx ijEijkxr :i l fd;k tkrk jgk g y?k ou mRiknk dh dkfV e vk;x rFkk y?k ou mRiknk ij vfèkdkj dh dkfV e j[k tk;x ¿èkkjk ¼3 lh½ÀA

लघु वन उत्पादों पर अधिकार के दायरे में लघु वन उत्पादों का संग्रहण, उपयोग तथा इनका निस्तारण यानी आदान–प्रदान या विक्रय भी शामिल है। इन लघु वन उत्पादों का संग्रहण किसी भी वन क्षेत्र (जहां से परम्परागत रूप से इनका संग्रहण किया जाता रहा है) चाहे वे गांव की सीमा के अंदर हों या बाहर – से किया जा सकता है। (धारा 3(सी)।

इस कानून के धारा 2(बी) में इस बात का भी अधिकार दिया गया है कि जहां परम्परागत निस्तारी अधिकार के अंतर्गत लघु वन उत्पादों का संग्रहण स्वीकार्य हो वहां पर समुदाय भी अपने इस परम्परागत अधिकार

का उपयोग कर सकता है और उस पर मान्यता हेतु दावा भी कर सकता है। ऐसे वन क्षेत्रों में जिनका अधिग्रहण सरकार ने कर रखा है वहां पर इस प्रावधान को राज्य के हित में अवरोध के रूप में देखने वालों की भी अच्छी खासी तादाद है।

leL;k;sa ;gka Hkh gSa

- यह कानून लघु वन उत्पादों पर केवल अनुसूचित जनजाति के लोगों और परम्परागत वन निवासियों को अधिकार देने का प्रावधान करता है वहीं पर पेसा के प्रावधान लघु वन उत्पादों पर ग्रामसभा को अधिकार देने की बात करते हैं। इसका मतलब यह होगा कि इस कानून के तहत ऐसे लोग जो लघु वन उत्पादों पर अधिकार हेतु अपात्र हैं वे पेसा के प्रावधानों के अंतर्गत पात्र होने का दावा कर सकते हैं। इससे न केवल कानूनी अंतर्विरोध सामने आयेंगे बल्कि सामाजिक तनाव भी पैदा हो सकता है।
- लघु वन उत्पादों के परिवहन को कानून के दायरे में नहीं लाया गया है। इस कानून को लागू करने के लिए भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय द्वारा दिनांक 19 जून 2007 को जारी किये गये नियमों के अध्याय 3 के बिन्दु 13 (6) में साफ लिखा है कि ''अधिकारों के उपयोग में सिर पर बोझा या साइकिल या हाथगाड़ी के माध्यम से लघु वन उत्पाद को निकटस्थ गांव या संग्रह बिन्दु तक परिवहन शामिल है।''

  परंतु वन के ठेकेदारों (तेंदू पत्ते के ठेकेदारों) को परिवहन हेतु वाहन के प्रयोग की पूरी छूट हैं
- जैसा कि वन विभाग ने पेसा के साथ किया उसी प्रकार इस कानून की धारा (13) की व्याख्या अपने अनुसार करके वन विभाग लघु वन उत्पादों पर अपने नियंत्रण का प्रयास कर सकता है और लघु वन उत्पादों के संग्रहण को अपनी कार्य योजना में शामिल कर सकता है।
- इस कानून की धारा 5 (डी) की आड़ में वन्य जीवों, वनों तथा जैव विविधता के संरक्षण के नाम पर अधिकृत समुदाय/व्यक्तियों/परिवारों को लघु वन उत्पादों के उपभोग, संग्रहण आदि से रोका जा सकता है।

ou lj{k.k dk vfèkdkj

{सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, पुनरूत्पादन, संरक्षण तथा प्रबंधन का अधिकार} – धारा 3(आई), एवं धारा 5 (टी)।

यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है। यह व्यक्तिगत न होकर सामुदायिक अधिकार के रूप में है। इसमें वन्य क्षेत्र में परम्परागत अधिकारों के संरक्षण का भी प्रावधान है।

वह जंगल या वन क्षेत्र जिसमें परपरम्परागत रूप में समुदाय की पहुंच रही है सामुदायिक वन क्षेत्र हैं चाहे वह राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षित वन क्षेत्र में क्यों न अवस्थित हों। इसमें वह जमीन भी शामिल है जहां आदिम समुदाय की समय–समय पर पहुंच होती रही है। {धारा 2(ए)}।

धारा 3(आई) और धारा 5 के अंतर्गत सामुदायिक वन क्षेत्रों में वन निवासियों को वनों को बचाने/संरक्षण करने, प्रबंधन, पुनर्जीवित करने (पौधारोपण/झाड़ियों, घास–फूस या प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवन), वन संसाधनों का उपयोग, जंगल–वन्य प्राणियों– जैव विविधता का संरक्षण, जंगल में जल संसाधनों एवं जल ग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण, जंगल के वातावरण एवं सांस्कृतिक–प्राकृतिक विरासत–सामुदायिक स्थलों को नष्ट होने से बचाने – का अधिकार होगा।

जिसका निहितार्थ है कि वन निवासी समुदाय उपरोक्त अधिकारों, उद्देश्यों को हासिल करने के लिए नियम भी बना सकता है। ;g cgr gh 'kfDr'kkyh vfèkdkj g bldk i;kx djd lkenkf;d ou {k=k e fuek.k dk;l :dok;k tk ldrk g] ou e voèk dVkb] f'kdkj ij jkd] ou Hkfe dk [kuu ;k fodkl ;ktukvk e bLreky ij jkd yxk;h tk ldrh gA lenk; ;g nkok Hkh dj ldrk g fd pfd ; txy lkenkf;d ou llkèku g vkj mudh jkrejk dh t:jr bll ijh gkrh g] lkFk gh ;g mudh lkLdfrd&ikdfrd fojklr Hkh g blfy, mud ikl

bl d lj{k.k dk vfèkdkj gA

यह प्रावधान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका बार–बार प्रयोग करके, संघर्ष करके वन प्रबंधन के समूचे ढांचे को चुनौती दी जा सकती है तथा वन एवं वन निवासियों को एक बेहतर रूप दिया जा सकता है।

okLro e ou fuokfl ;k ,o ijEijkxr :i l pyh vk jgh ou ipk;r gtkjk lky l ;g lc djrh vk jgh gA fu;e cukrh jgh g rFkk ml lkenkf;d lg;kx l ykx Hkh djrh jgh gA ;g dkb u;k dne ugh cfYd vkfnokfl ;k dh bl ijEijk dk ekU;rk nuk ek= gkxkA

ckf)d lEink vkj to fofoèkrk dk vfèkdkj

इस कानून के धारा 3(के) के अंतर्गत समुदाय के बौद्धिक संपदा तथा जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित परम्परागत ज्ञान को मान्यता दी गयी है। ऐसी स्थिति में आनुवांशिकी संसाधनों, बीजों, जड़ी बूटियों, चिकित्सा पद्धतियों, मौसम, कृषि, जीव–जन्तुओं, वनस्पतियों के ज्ञान, खनिज तथा समुदाय की अपनी मौलिक ज्ञान प्रणालियों और प्रथाओं सहित जैव विविधता से जुड़े परम्परागत विज्ञान एवं तकनीकों की मौलिकता, नियंत्रण विकास और सुरक्षा के नियमन का अधिकार समुदाय को देना ही पड़ेगा।

ikdfrd okl

इस कानून में प्राकृतिक वास का अर्थ स्पष्ट नहीं है। यह प्रावधान आदिम आदिवासियों के समूह जैसे जुआंग, बैगा तथा चेंचू आदि पर लागू होता है। इन्हें प्राकृतिक वास और संसाधनों पर व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामुदायिक अधिकार रखने का हक दिया गया है।

प्राकृतिक वास का अर्थ उस परम्परागत क्षेत्र से है जहांसमुदाय (आदिम आदिवासी) रहते आ रहे हैं भले ही वह क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र हो।

प्राकृतिक वास की परिभाषा अस्पष्ट तथा निरर्थक है। इसमें केवल सुरक्षित एवं संरक्षित वन क्षेत्रों का जिक्र है यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्राकृतिक वास का अधिकार राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में होगा कि नहीं। जबकि यह एक स्पष्ट तथ्य है कि इन वन क्षेत्रों में भी आदिम आदिवासियों के प्राकृतिक वास रहे हैं और हैं।

;gk ij vkfnoklh lenk; ;g nkok djldrk g fd ouk dk ljf{kr] ljf{kr] jk"Vh; m|ku ;k vHk;kj.; d :i e vfèklfpr gku d igy l gh o ijEijkxr :i l bu ouk e jgr vk jg gA o ekx djldr g fd ou {k=k d vnj jgu rFkk ckgj ugh fudky tku dk vfèkdkj mUg fn;k tk;] ouk dk u"V gku l cpku dk vfèkdkj mUg fn;k tk;] ouk dk u"V gku l cpku dk vfèkdkj gk D;kfd ouk d u"V gk tku l mudk ikdfrd okl Hkh u"V gk tk;xk] bu ouk e lkLdfrd vkj lkekftd xfrfofèk;k ¼tk fd ikdfrd okl dk vx g½ dk tkjh j[ku d fy, mUg ouk l ckgj u fd;k tk;A ; ekx bl dkuu e ekV rkj ij nh rk x;h yxrh g ijr mudh 0;k[;k; rFkk ifjHkk"kk; vLi"V rFkk ikoèkku ijLij fojkèkh gA

पुराने वन अधिनियमों का सहारा लेकर पर्यावरण की बेहतरी, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण आदि के बहाने आदिम आदिवासियों के ऊपर उन्हें उनके प्राकृतिक वास से बेदखल करने की तलवार कभी भी म्यान से बाहर आ सकती है।

fookfnr Hkfe;ksa ij vfèkdkj

यदि विवादित भूमि पर इस कानून के धारा 3(1)(च) के अधीन दावा किया जा रहा है तो इसमें 'माने गये' आरक्षित वन में जहां वन बन्दोबस्त की प्रक्रिया गलत अभिलेखों या कानूनी प्रक्रिया का सम्यक पालन न करने सहित किसी रीति से पूरी नहीं की गयी है वहां वनभूमि में या जहां भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 या किसी अन्य सुसंगत कानून की किसी धारा के अधीन अंतिम अधिसूचना अभी जारी की जानी है वहां वन भूमि में या ऐसी भूमि सम्मिलित होगी जिस पर विवादित दावे विभिन्न सरकारी विभागों के बीच लंबित हैं और इससे लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। (देखें केन्द्रीय सरकार के जनजातीय मंत्रालय की अधिसूचना जो प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में है, दिनांक 19 जून 2007)।

foLFkkfirksa ds fy, Hkfe dk vfèkdkj %

1). जब भूमि के अधिकार का दावा अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (8) के अधीन किया जाता है तो भूमि के मुआवजे के बिना विस्थापन का तथ्य (सबूत) जो दावेदार द्वारा स्थापित किया गया है – अधिकार के लिए प्राथमिक आधार होगा।

2). उन प्रायोजनों के लिए जिनके लिए इसे अधिग्रहीत किया गया था, 5 वर्षों के अंदर उक्त भूमि का उपयोग सिद्ध करने का भार, राज्य अथवा राज्य के तत्वावधान में कार्यरत अभिकरण पर होगा।

3). दावे या तो मूल निवास के संबंध में अधिकारिता रखने वाली ग्रामसभा के सामने अथवा उस स्थान की ग्रामसभा के सामने प्रस्तुत किए जाएं, जहां दावेदार का वर्तमान निवास है।

[k.M& IV

ou vfèkdkjk dk lfuf'pr djku gr ifØ;k

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 में वन अधिकारों की सुनिश्चितता के लिए जो प्रक्रिया अपनायी जायेगी उसके मूल आधार को स्पष्ट किया गया है।

- ग्राम सभा इस प्रक्रिया की पहल करेगी। दावे उसके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, चाहे वे व्यक्तिगत वन अधिकार के हों या सामुदायिक वन अधिकार के।
- ग्राम सभा दावों पर निर्णय लेगी।
- ग्राम सभा के निर्णय से असहमत दावेदार निर्णय के 60 दिन के अंदर सब डिवीजनल लेवल कमेटी (जिसको राज्य सरकार बनायेगी धारा 6(3) के समक्ष अपील कर सकते हैं। अपीलकर्ता को सुने बगैर कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता (धारा 6(2))।
- सब डिवीजनल लेवल कमेटी ग्राम सभा के प्रस्तावों का परीक्षण करके तथा वन अधिकारों का रिकार्ड तैयार करके सब डिवीजनल आफिसर (एस.डी.एम.) के माध्यम से अंतिम निर्णय हेतु जिला स्तरीय कमेटी को अग्रसारित करेगी {धारा 6(3)}।
- सब डिवीजनल लेवल कमेटी के निर्णय से असहमत पक्ष निर्णय की तारीख से 60 दिन के अंदर जिला स्तरीय समिति में अपील कर सकताहै जहां पर इस पर अंतिम निर्णय होगा।

  ग्राम सभा के निर्णय के विरूद्ध कोई भी अपील सीधे जिला स्तरीय समिति के समक्ष नहीं की जा सकती।
- जिला स्तरीय समिति अपीलकर्ता को सुने बगैर कोई निर्णय नहीं लेगी। {धारा 6(4)}।

- राज्य सरकार द्वारा एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा जो सब डिवीजनल लेवल कमेटी के द्वारा तैयार किये गये वन अधिकारों को अंतिम रूप से संस्तुति करेगी। {धारा 6(5)}। जिला स्तरीय समिति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा {धारा 6(6)}।
- राज्य सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का भी गठन किया जायेगा जो वन अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रियाओं तथा मान्यताओं पर निगरानी रखेगी तथा नोडल एजेंसी को उपलब्ध करायेगी {धारा 6(7)टी}।
- सब डिवीजनल लेवल कमेटी, जिला स्तरीय समिति तथा राज्य स्तरीय निगरानी समिति में अनिवार्यतः राज्य के राजस्व, वन एवं जनजाति मामलों के विभाग के अधिकारीगण, पंचायती राज्य संस्थानों के 3 प्रतिनिधि (जिनमें 2 अनुसूचित जनजाति से तथा एक महिला होगी) इन प्रतिनिधियों की अलग–अलग स्तर पर पंचायत राज संस्थानों द्वारा नियुक्ति की जायेगी।

vkx D;k&D;k gk jgk g %

- इस कानून के धारा 14 में केंद्रीय सरकार को अधिकृत किया गया है कि वह इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा दावेदारों का वन अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए नियम बनाये तथा संसद के समक्ष रखकर उस पर संसद के निर्णयानुसार आगे कार्यवाही करे।
- इस अधिकार का उपयोग करते हुए भारत सरकार के जनजाति मामलों के मंत्रालय ने 12 फरवरी 2007 को एक टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप (32 सदस्यीय) का गठन करके उसे इन नियमों का प्रस्तावित मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी।
- जनजाति कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) के समक्ष टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप ने प्रारूप नियम बनाकर सौंप दिया और मंत्रालय ने 19 जून 2007 को उसे प्रकाशित कर आम लोगों की राय–सुझाव हेतु जारी कर दिया जिस पर 45 दिन के अंदर सुझाव आमंत्रित किये गये थे तथा सुझावों पर विचार का आश्वासन भी दिया गया था।

ifØ;k esa vLi"Vrk rFkk vykdrkf=d Lo:i

- ग्राम सभा के प्रस्ताव के परीक्षण का मतलब क्या है ? यह स्पष्ट नहीं किया गया है। इसे इस रूप में भी देखा/परिभाषित किया जा सकता है कि उप–संभागीय स्तर की समिति के पास ग्राम सभा के प्रस्तावों/निर्णयों को बदलने के अधिकार हैं चाहे इन निर्णयों के खिलाफ कोई अपील की गयी हो या नहीं। ;fn ,slk gksrk gS rks lfefr dks lewg ds vf/kdkj dks vekU; djus dh leph 'kfDr gkfly gks tkrh gSA i;kZoj.k lqj{k.k] oU; tho lqj{k.k] ou vf/kfu;e] varjk"Vªh; ?kks"k.kkvksa vkfn dh vkM+ esa dksbZ Hkh vihy nk;j djds lewg ds vf/kdkjksa esa jksM+k vVdk ldrk gSA
- समितियों की अध्यक्षता नौकरशाहों के हाथ में होगी। उप–खण्ड स्तर पर बी.डी.ओ. तथा जिला स्तर पर कलक्टर।
- जिला स्तर की निगरानी समिति का निर्णय अंतिम होगा। इसके आगे कोई अपील नहीं की जा सकती जिसका मतलब है कि जिला स्तरीय समिति के किसी भी फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती।
- यह कानून यह भी स्पष्ट नहीं करता कि अधिकारों का नियमन करने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार होगा। उदाहरण के लिए लघु वन उत्पादों के संग्रहण की अधिकतम मात्रा तय करने तथा परिवहन के लिए परमिट आदि कौन जारी करेगा।

[k.M& V

इस कानून की धारा 6 में उन मूलभूत प्रावधानों की बात रखी गयी है, प्रक्रियाओं की बात रखी गयी है जिसके आधार पर वन अधिकारों पर दावेदारी को मान्यता दी जायेगी।

इस पर आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 19 जून 2007 को 'अनूसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियेां (वन अधिकारों को मान्यता) नियम 2007 का प्रारूप जारी किया है। इन नियमों से स्पष्टता लाने की कोशिश की गयी है। इन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण है वन अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया, दावेदारी के साक्ष्य, विभिन्न समितियों की संरचना तथा अधिकार, दावों एवं अपील की प्रक्रिया– जिनका वर्णन इस नियम के प्रारूप के अध्याय 5 में है। इसे आगे विस्तार से प्रस्तुत किया गया है (देखें नियम के अध्याय 5 के नियम संख्या 25 से 33 तक) साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम दिये गये हैं–

ou vfèkdkjksa dk fufgr djus ds fy, izkfèkdkfj;ksa ds nkf;Ro vkSj mldh izfØ;k

vè;k;& 5

25- izkfèkdkfj;ksa vkSj vU; 0;fDr;ksa dk lxkgh cukus dh izfØ;k,&

¼1½ ukMy vfHkdj.k&

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम और नियमों के उद्देश्यों, उपबंधों और प्रक्रियाओं के विषय में जागरूकता कार्यक्रमों और क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित पोस्टरों जैसी सामग्री सहित विभिन्न माध्यमों से जागरूकता लाई जा रही है:

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम और नियमों का अनुवाद और प्रकाशन सभी क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया है तथा सभी ग्राम सभाओं, वन अधिकार समितियों एवं सरकार के सभी विभागों जिनके अंतर्गत पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जनजातीय और सामाजिक कल्याण तथा वन विभाग भी है, में इसके वितरण की व्यवस्था की गई है;

(ग) प्रत्येक राज्य में अधिकारियों, नागरिक प्रतिनिधियों तथा गैर सरकारी संगठनों का पूर्वाभिमुखीकरण किया जाएगा, जिन्हें तब जागरूकता कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्तियों के रूप में सहायता देने के लिए बुलाया जा सकता है;

(घ) राज्य सरकारों के माध्यम से अधिनियम और नियमों के उद्देश्यों, उपबंधों और प्रक्रियाओं के बारे में ज़िला स्तरीय समितियों को सुग्राही बनाया जाएगा।

(2) ज़िला स्तरीय समितियां पारम्परिक और अन्य साधनों से अधिनियम और नियमों के उद्देश्यों, उपबंधों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता अभियान चलाएंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि अधिनियम और नियम क्षेत्रीय भाघाओं में मुद्रित कर ग्राम, ब्लॉक और उप–खंड स्तर पर प्रमुख स्थानों और कार्यालय में वितरित किए गए हैं एवं विशेष रूप से इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि यह जानकारी दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित आबादियों तक पहुंचती है।

(3) ज़िला स्तरीय समिति कार्यशालाओं और अन्य साधनों के माध्यम से उप–खंड स्तरीय समितियों के सदस्यों, पंचायती राज अधिकारियों, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, वन, जनजातीय और सामाजिक कल्याण विभागों के अधिकारियों के बीच अधिनियम और नियमों के उद्देश्यों, उपबंधों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगी।

(4) उप–खंड स्तरीय समिति उपखंड में प्रत्येक तहसील या ब्लॉक के लिए एक या अधिक जागरूकता शिविर लगाकर शिक्षकों, महिला समूहों, राजनैतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों सहित ग्राम सभाओं, जिनके अंतर्गत वन अधिकार

समिति के सदस्यों, नागरिक प्रतिनिधियों को अधिनियम और नियमों के उद्देश्यों, उपबंधों और प्रक्रियाओं के बारे में संवेदनशील बनाएंगी।

26- xke lHkk }kjk nkok dk nk;j djus vkj fuèkkj.k dh ifØ;k %

(1) उप–खंड स्तरीय समिति इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के तीन मास के अंदर ग्राम सभा की पहली बैठक की तारीखें अधिसूचित करेगी।

(1) पहली बैठक में ग्राम सभा अपने सदस्यों में से एक समिति का निर्वाचन करेगी जिसमें कम से कम सात सदस्य होंगे, जिनमें से तीन सदस्य अनुसूचित जनजातियों के, तीन महिला सदस्य और एक अन्य पारम्परिक वन निवासी सदस्य होगा; और जहां कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है, वहां कम से कम तीन सदस्य अन्य परम्परागत वन निवासी और तीन महिला सदस्य होंगे और उक्त समिति को ou vfèkdkj lfefr कहा जाएगा एवं इसकी जानकारी संबंधित उप–खंड स्तरीय समिति को दी जाएगी।

(2) ग्राम सभा वन अधिकार समिति में, उप नियम (2) में उल्लिखित सदस्यों के अतिरिक्त, 7 सदस्यों से अधिक का चयन कर सकेगी, यदि वे अनुसूचित जनजातियों, अन्य परम्परागत वन निवासियों और महिलाओं के समान अनुपात को ध्यान में रखते हुए ऐसी इच्छा रखते हैं, जैसा उप नियम (2) में निर्दिष्ट किया गया है।

(3) ग्राम सभा को सरकार की ओर से अनिवार्य अवसंरचना और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

¼4½ ou vfèkdkj lfefr xke lHkk dk mlds fuEufyf[kr dk;kZ esa lgk;rk nsxh &

(i) ग्राम सभा की बैठकों का संचालन;

(ii) निर्दिष्ट प्रारूप में दावे तथा उक्त दावों के समर्थन में साक्ष्य प्राप्त

करना, पावती देना और धारण करना ;

(iii) सरकारी पदाधिकारियों जैसे विद्यालय के शिक्षकों, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं, वन कर्मियों और पटवारियों से आवश्यक सहायता की मांग करना;

(iv) इन नियमों में उपबंधित किए गए अनुसार दावों का सत्यापन करना;

(v) यथा अपेक्षानुसार किसी प्राधिकारी या अभिकरण या व्यक्तियों से साक्ष्य या समर्थन की मांग करना;

(vi) मानचित्रों सहित दावों और साक्ष्य के अभिलेख तैयार करना;

(vii) वन अधिकारों पर दावेदारों की सूची तैयार करना;

(viii) ग्राम सभा के सामने निर्णय हेतु दावे के स्वरूप और विस्तार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करना।

27- nkoksa dk lR;kiu %

(1) ग्राम सभा अपनी पहली बैठक में निम्नलिखित कार्य करेगी –

(क) दावों को आमंत्रित करना और इन नियमों के परिशिष्ट – 1 में यथा उपबंधित विनिर्दिष्ट प्रारूप में उक्त दावों को स्वीकार करने के लिए वन अधिकार समिति को प्राधिकृत करना तथा इन दावों को तीन मास के अंदर किया जाएगा;

परंतु ग्राम सभा इसके कारणों को अभिलिखित करने के बाद उक्त समय सीमा को बढ़ा सकेगी।

(ख) समुदाय के वन संसाधनों के निर्धारण की तारीख निश्चित करना और इसकी जानकारी आस–पास की ग्राम सभाओं, जहां संभावित दोहराव हैं और उप–खंड स्तरीय समितियों को देना।

(2) ऐसा कोई दावा जो विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार नहीं है, उसे दोष सुधार के लिए वापस भेज दिया जाएगा और उसके बाद स्वीकार किया जाएगा।

(3) इन नियमों के अधीन सभी दावों के साथ नियम 31 में वर्णित एक से अधिक साक्ष्य संलग्न किए जाएंगे।

(4) ग्राम सभा दावेदार के दावे का निर्धारण करने के पहले उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान कर सकेगी।

(5) दावेदार सुसंगत साक्ष्य प्राप्त करने में वन अधिकार समिति की सहायता ले सकेगा।

(6) प्राप्त प्रत्येक दावे की वन अधिकार समिति की ओर से लिखित में पावती दी जाएगी।

28- ou vfèkdkj lfefr }kjk nkoksa dk lR;kiu dh izfØ;k

(1) संबधित दावेदार को सम्यक्तः सूचना देने के बाद, वन अधिकार समिति :

(क) स्थल का दौरा करेगी और दावे के स्वरूप, विस्तार और स्थल के साक्ष्य का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करेगी; और

(ख) ऐसा कोई और अन्य साक्ष्य या अभिलेख प्राप्त करेगी अथवा दावेदार और गवाहों द्वारा दिया गया कोई मौखिक साक्ष्य प्राप्त करेगी।

(2) वन अधिकार समिति किसी प्राधिकारी से साक्ष्य की मांग कर सकती है, जो आवश्यक हो।

(3) तब वन अधिकार समिति दावे पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी और निर्णय के लिए इसे ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करेगी।

(4) यदि किसी अन्य गांव की परम्परागत या तयशुदा सीमाओं के अंदर परस्पर विरोधी दावे हैं अथवा यदि वन क्षेत्र को एक से अधिक ग्राम सभाओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है तो संबंधित ग्राम सभाओं की वन अधिकार समितियां संयुक्त रूप से बैठक करके उक्त दावों के लाभ के स्वरूप के बारे में करार करेंगी और इस कथित करारनामे को लिखित रूप में संबंधित ग्राम सभाओं को प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) ग्राम सभा या वन अधिकार समिति के जानकारी, अभिलेखों या दस्तावेज़ों के लिए लिखित अनुरोध पर राज्य सरकार के विभिन्न विभाग (सभी स्तरों पर) उन्हें वन अधिकार समिति या ग्राम सभा को प्रदान करेंगे और आवश्यकता और अपेक्षा के अनुसार उसे इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से स्पष्ट करेंगे ।

(6) वन अधिकार समिति द्वारा एक मानचित्र संबंधित राजस्व और वन प्राधिकारियों के साथ मिल कर बनाया और सत्यापित किया जाएगा ! इस में पहचान योग्य पहचान चिन्हों को दर्शाते हुए प्रत्येक संस्तुत दावे के क्षेत्र को अलग से दर्शाया जाएगा।

29- ou vfèkdkj dk fuèkkj.k %

(1) ग्राम सभा, नियम 26 के उप नियम (2) के अनुसार पहली बैठक के बाद, वन अधिकार समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों पर विचार करने के लिए आवश्यकतानुसार बैठक करेगी तथा उपयुक्त पाए गए संकल्प पारित करेगी, किन्तु यह पूर्व सूचना सहित प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए।

(2) ग्राम सभा आवश्यक कार्रवाई के लिए इस प्रस्ताव की एक प्रति उप–खंड स्तरीय समिति को अग्रसारित करेगी।

(3) यदि कोई ग्राम सभा, अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपने कार्यों का निष्पादन करने में असफल रहती है तो किसी दावेदार के आवेदन पर उप–खंड स्तरीय समिति उक्त कार्यों के निष्पादन हेतु कथित ग्राम सभा को एक सूचना भेजेगी और यदि ग्राम सभा दो माह के अंदर कार्यवाही आरंभ नहीं करती है तो दावेदार अपने दावे के निर्धारण के लिए सीधे उप–खंड स्तरीय समिति के पास जा सकता है।

30- iokŸkj jkT;k d fy, fo'k"k micèk %

पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में, अन्यथा, दावेदार, प्रवृत्त अधिनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन, अन्यथा प्रश्नाधीन क्षेत्र में भूमि धारण करने और रहने का पात्र होगा ।

31- ou vfèkdkjk d fuèkkj.k d fy, lk{; %

(1) अधिनियम की धारा 3 के अधीन वन अधिकारों की मान्यता और उन्हें निहित करने के लिए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, किन्तु ये इन तक सीमित नहीं हैं, अर्थात–

(क) सार्वजनिक दस्तावेज, सरकारी अभिलेख जैसे राजपत्र, जनगणना, सर्वेक्षण और बंदोबस्त रिपोर्ट मानचित्र, उपग्रहीय चित्र, कार्यकारी योजनाएं, प्रबंधन योजनाएं, लघु योजनाएं, वन जांच रिपोर्ट, अन्य वन अभिलेख, अधिकारों के अभिलेख जिन्हें पट्टा या लीज़, जो भी नाम दिया गया हो (शर्त युक्त या अन्यथा समाप्त या अन्यथा), समितियों और आयोगों की रिपोर्टें, सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, संकल्प और पत्र।

(ख) मतदाता पहचानपत्र, राशनकार्ड, पासपोर्ट, ऋण, बीमा और ऋण तथा गृहकर रसीदें, मूल निवास प्रमाणपत्र जैसे सरकारी प्राधिकृत दस्तावेज़;

(ग) ग्राम सभा के सामने वृद्धों के बयान, ग्राम सभा के सदस्यों और अन्य पात्र अधिकार धारकों के बयान को विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों के बयानों को जो पढ़ या लिख नहीं सकते हैं, लेखबद्ध करना;

(घ) वास्तविक कार्य जैसे समतल करने, बंद, चैक बांध बनाने और इसी प्रकार की संरचनाओं सहित स्थायी सुधार;

(ङ) न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों, प्रारंभिक आपराधिक रिपोर्टों सहित अर्ध–न्यायिक और न्यायिक अभिलेख, जिसे चालान या रसीद के नाम से जाना जाता है;

(च) ऐसी वन अधिकार समिति द्वारा दावों के स्थल के सत्यापन की स्थानीय जांच रिपोर्ट, जिसे ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित और अनुमोदित किया गया हो;

(छ) प्रतिष्ठित संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा पूर्व अनुसंधान या अभिलेखन जिनके अंतर्गत नृविज्ञानियों द्वारा तैयार रिपोर्टें, प्रकाशन तथा

भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी है;

(ज) मानचित्रों, अधिकारों, विशेषाधिकारों, रियायतों, समर्थन देने वाले अभिलेखों सहित कोई अभिलेख जो रजवाड़ों के समय या प्रान्तीय अथवा अन्य ऐसे किसी मध्यवर्तियों से प्राप्त हुए हैं;

(झ) न्यायालय सहित प्राधिकारियों को दिए गए पूर्व आवेदन, ज्ञापन, याचिकाएं;

(ञ) ग्राम सभा के पूर्व संकल्प;

(ट) रीतिरिवाजों और परम्पराओं का लिखित विवरण, जो किसी वन अधिकार के उपयोग का चित्रण करता हो और जिसके पास परम्परागत विधि का बल हो।

(ठ) परम्परागत संरचनाएं या चित्र जो उसकी पुरातनता स्थापित करते हों या लंबे समय से स्वामित्व दर्शाते हों, जैसे कि पुराने सुधार, कुएँ, शमशान/कब्रिस्तान, पवित्र स्थल;

(ड) ऐतिहासिक विवरण, सर्वेक्षण रेखाचित्र और मानचित्रों के आरेख, तस्वीरें और परम्परागत सामुदायिक वनों और आखेट के मैदानों, परम्परागत पहचान चिन्हों के ऐतिहासिक विवरण;

(ढ) मौखिक या लिखित जैनियोलॉजी, जिसमें पूर्व भूमि अभिलेख में उल्लिखित व्यक्ति के पुरखों का इतिहास हो या जिसे पुराने समय में गांव के वैध निवासी के रूप में मान्यता दी गई हो;

(2) ग्राम सभा, उप–खंड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति वन अधिकारों के निर्धारण में उपरोक्त उल्लिखित साक्ष्य में से एक से अधिक पर अधिमानतः विचार करेंगी :

परंतु यदि दावेदार और किसी राज्य अभिकरण के बीच विवाद की स्थिति में जब तक कि अन्यथा सिद्ध न कर दिया जाए, दावेदार के पक्ष में परिकल्पना की जाएगी।

¼3½ lkeqnkf;d ou lalk/ku dk lk{; e fuEUkfyf[kr 'kkfey gksxk%

(क) सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, इसे चाहे जिस नाम से बुलाया जाए;

(ख) परम्परागत चारागाह, जलावन लकड़ी को जमा करने के क्षेत्र, पत्तीदार खाद, जड़ें और कन्द, चारा, वन्य खाद्य और अन्य लघु वन उत्पाद, मछली पकड़ने के स्थान, सिचाई प्रणालियां, मानव या पशुधन के उपयोग के लिए पानी के स्रोत, औषधीय पौधों का संग्रह, जड़ी बूटी देने वाले वैद्यों के क्षेत्र;

(ग) भू–संरक्षण और जल संरक्षण संरचनाओं के अवशेष, पवित्र वृक्ष, पवित्र गुफाएं, पवित्र तालाब या नदी क्षेत्र, कब्रिस्तान या शव दाह गृह;

(घ) वर्तमान आरक्षित वन जैसे संरक्षित वन या गोचर या अन्य सामान्य ग्राम भूमि के पूर्व वर्गीकरण के सरकारी अभिलेख, संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित वन विभाग से समझौता ज्ञापन, लघु वन उत्पाद संग्रह अधिकार की नीलामी, पूर्व या वर्तमान रूप से जारी चराई का अनुमति पत्र;

(ङ) बड़े क्षेत्र की बहु प्रयोजन सोसायटी या वन श्रमिक सहकारी को सौंपे गए क्षेत्र, जिन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, पेड़ उगाने वाले सहकारियों को सौंपे गए क्षेत्र;

(च) परम्परागत कृषि की प्रारंभिक या वर्तमान प्रथा।

(4) अन्य परम्परागत वन निवासियों के निधारण के साक्ष्य में निम्नलिखित सम्मिलित है परन्तु यह इन तक सीमित नहीं है–

(क) वास्तविक कार्य/परम्परागत संरचनाएं या चित्र, जो विशिष्टतया या दीर्घ अवधि अधिभोग स्वामित्व स्थापित करते हों जिसमें कुएँ, कब्रिस्तान, पवित्र स्थान, मकबरे सम्मिलित हैं;

(ख) आरंभिक भूमि अभिलेखों में उल्लिखित विवरण के अनुसार दावेदार के पुरखों की लिखित वंशावली या आरंभिक समय से ग्राम के वैध निवासी के रूप में उसे मान्यता दी जा सके;

(ग) ग्राम सभा, उप–खंड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति वन अधिकारों के विनिश्चिय के लिए कम से कम 75 वर्षों से तीन पीढ़ियों का अवधारण करने में इस नियम में उल्लिखित एक से अधिक साक्ष्य पर विचार करेंगी।

32- mi&[kM Lrj Lrjh; lfefr dk ;kfpdk %

(1) ग्राम सभा के संकल्प निर्णय से पीड़ित कोई दावेदार संकल्प की तारीख के 60 दिनों के अंदर लिखित या मौखिक रूप से सदस्य सचिव, उप–खंड स्तरीय समिति के सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, जो इसे औपचारिक याचिका के रूप में लेखबद्ध करेगा।

(2) उप–खंड स्तरीय समिति याचिका की सुनवाई का दिन नियत करेगी जो एक माह से अधिक बाद का नहीं होगा और वन अधिकार समिति के माध्यम से अपीलकर्ता और संबद्ध ग्राम सभा को सूचना देगी तथा सुनवाई के कम से कम 15 दिन पहले ऐसे ग्राम में एक सुविधा जनक स्थल पर इसकी सूचना लगाएगी।

¼3½ mi&[kM Lrjh; lfefr ;k rk &

(क) याचिका को मंजूर करेगी, या

(ख) याचिका को अस्वीकार करेगी, या

(ग) 60 दिनों के भीतर विचार के लिए संबद्ध ग्राम सभा के पास याचिका को निर्दिष्ट करेगी।

(4) ऐसे निर्देश की प्राप्ति के बाद ग्राम सभा 30 दिनों के भीतर बैठक करेगी, अपीलकर्ता को सुनेगी और उस निर्देश के बारे में एक संकल्प पारित करेगी एवं इसकी सूचना उप–खंड स्तरीय समिति को देगी।

(5) उप–खंड स्तरीय समिति ग्राम सभा के संकल्प पर विचार करेगी और इस निर्देश पर ग्राम सभा के संकल्प की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर समुचित आदेश पारित करेगी।

(6) लंबित अपीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप–खंड स्तरीय

समिति अन्य दावेदारों के वन अधिकारों के अभिलेखों की परीक्षा करेगी और इनको मिलाकर अंतिम विनिश्चय के लिए जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगी।

(7) दो या अधिक ग्राम सभाओं के बीच विवाद के मामले में किसी ग्राम सभा के आवेदन पर या उप–खंड स्तरीय समिति स्वयं ही विवाद को सुलझाने के विचार से संबद्ध ग्राम सभाओं को संयुक्त बैठक के लिए बुलाएगी और यदि तीस दिनों की अवधि के अंदर कोई आपसी सहमति से समाधान नहीं निकलता है तो उप–खंड स्तरीय समिति संबद्ध ग्राम सभाओं की बात सुनने के बाद विवाद का विनिश्चय करेगी और समुचित आदेश पारित करेगी।

33- ftyk Lrjh; lfefr dk ;kfpdk %

(1) उप–खंड स्तरीय समिति के प्रस्ताव से पीड़ित कोई दावेदार प्रस्ताव की तारीख के 60 दिनों के अंदर लिखित या मौखिक रूप से सदस्य सचिव, जिला स्तरीय समिति के सामने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, जो इसे औपचारिक याचिका के रूप में लेखबद्ध करेगा।

(2) जिला स्तरीय समिति याचिका की सुनवाई का दिन नियत करेगी जो एक माह से अधिक पश्चात का नहीं होगा और सदस्य–सचिव के माध्यम से अपीलकर्ता और संबंधित उप–खंड स्तरीय समिति को सूचना देगी तथा सुनवाई के कम से कम 15 दिन पहले ऐसे गांव में एक सुविधा जनक स्थल पर इसकी सूचना लगाएगी।

¼3½ ftyk Lrjh; lfefr ;k rk &

(क) याचिका को मंजूर करेगी, या

(ख) याचिका को अस्वीकार करेगी, या

(ग) 60 दिनों के भीतर विचार हेतु संबंद्ध उप–खंड स्तरीय समिति को याचिका को निर्दिष्ट करेगी।

(4) ऐसे निर्देश की प्राप्ति के बाद उप–खंड स्तरीय समिति 30 दिनों के

भीतर बैठक करेगी,

अपीलकर्ता को सुनेगी और उस निर्देश पर सिफारिश करेगी तथा इसकी सूचना जिला स्तरीय समिति को देगी।

(5) जिला स्तरीय समिति उप–खंड स्तरीय समिति की सिफारिश पर विचार करेगी और ऐसी सिफारिश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर समुचित आदेश पारित करेगी।

(6) लंबित अपीलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला स्तरीय समिति अन्य दावेदारों के वन अधिकारों के अभिलेखों पर विचार और अनुमोदन करेगी तथा सरकार के अभिलेखों में सुधार के लिए निर्देश जारी करेगी।

(7) दो या अधिक ग्राम सभाओं के बीच विवाद के मामले में किसी उप–खंड स्तरीय समिति के आवेदन पर या जिला स्तरीय समिति स्वयं ही विवाद को सुलझाने के विचार से संबद्ध उप–खंड स्तरीय समितियों को संयुक्त बैठक में मतभेदों को सुलझाने के लिए बुलाएगी और यदि तीस दिनों की अवधि के अंदर कोई आपसी सहमति समाधान नहीं निकलता है तो जिला स्तर की समिति संबंधित उप–खंड स्तरीय समितियों की बात सुनने के बाद विवाद का विनिश्चय करेगी और समुचित आदेश पारित करेगी तथा यह आदेश सभी पर बाध्यकारी होगा।

(8) यदि ग्राम सभाओं के बीच विवाद के मामले में उप–खंड स्तरीय समिति के आदेश से ग्राम सभा पीड़ित है तो उक्त ग्राम सभा द्वारा दिए गए आवेदन पर जिला स्तरीय समिति संबद्ध ग्राम सभाओं के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए एक संयुक्त बैठक आयोजित करेगी और यदि 30 दिनों की अवधि के भीतर आपसी सहमति से समाधान नहीं निकलता है तो जिला स्तरीय समिति संबद्ध ग्राम सभाओं की सुनवाई के बाद विवाद पर विनिश्चय लेगी और एक उपयुक्त आदेश पारित करेगी जो सभी पर बाध्यकारी होगा।

vU; egRoi.k fu;e %

&&(2) ''सतत उपयोग'' का वही अर्थ होगा, जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 2 के खण्ड (ण) में है, अर्थात जैव विविधता के घटकों का उपयोग ऐसी रीति से और ऐसी दर पर करना जिसका परिणाम जैव विविधता में दीर्घावधि गिरावट नहीं होती है, जिसके द्वारा वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों की ज़रुरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने की संभावना को बनाए रखा जा सके।

11- vfèkHkkx dk vfèkdkj % (1) अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के खंड (क) के अधीन अधिकारों का दावा किए जाने की दशा में, परिवार में नाभिकीय परिवार और उनके अवयस्क बालक और परिवार पर पूरी तरह या आंशिक रूप से आश्रित व्यक्ति सम्मिलित हैं।

(2) अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (6) के अधीन समुदाय के अधिभोग के अधीन भूमि के मामले में अथवा अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के खंड (क) के अधीन सामान्य अधिभोग में वास्तविक उपयोग के अधीन क्षेत्र को मान्यता दी जाए और समुदाय को अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि प्रदान की जाए।

21. बौद्धिक संपदा और जैव विविधता का अधिकार : (1) जब समुदाय के बौद्धिक संपदा तथा जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित परम्परागत ज्ञान और जैव विविधता की अभिगम्यता के अधिकार को अधिनियम की उप धारा (1) के खंड (ञ) के अधीन मान्यता दी गई है, तब इस में आनुवांशिक संसाधनों, बीजों, दवाओं, स्वास्थ्य प्रथाओं, औशधीय पौधों, कृशि, जीव – जन्तुओं और वनस्पति के ज्ञान, खनिज तथा अन्य स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और प्रथाओं सहित जैव विविधता संसाधनों से जुड़े परम्परागत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अभिगम्यता, नियंत्रण, विकास और सुरक्षा के नियमन का अधिकार सम्मिलित होगा।

2) ग्राम सभा जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अधीन जैव विविधता

प्रबंधन समिति के साथ मिलकर इसके द्वारा संरक्षित, निरंतर उपयोग में लाए गए और प्रबंधित जैव विविधता संसाधनों और उक्त जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता और ग्राम सभा द्वारा अभिलेखन के लिए ज्ञान प्रदाताओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से घोषित व्यष्टिक, समूह या सामुदायिक ज्ञान का प्रलेखन समन्वित कर सकेगी।

3) उप–नियम (2) में संदर्भित प्रलेखन ग्राम सभा की संपत्ति होगा और वह यह निर्णय लेगी कि इसके किस भाग या विषयवस्तु को जनता के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाना है तथा किन शर्तों और निबंधनों के अधीन पक्षों के सामने अन्य भागों या सामग्रियों को प्रस्तुत किया जाना है।

4) ग्राम सभा राज्य जैव विविधता बोर्डों के साथ और उक्त प्रलेखित ज्ञान के प्रबंधन में सुरक्षित पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों के प्राधिकरण के साथ समन्वय कर सकेगी ताकि बौद्धिक संपदा अधिकारों पर उपयुक्त बल डाला जा सके और इसके उपयोग से सभी को समान रूप से लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

5) ग्राम सभा बाहरी लोगों द्वारा जैव विविधता संसाधनों पर अभिगम्यता के विनियमन के लिए और संग्रह प्रभारों के उद्‌ग्रहण तथा आपसी लाभ की व्यवस्थाओं का पता लगाने के लिए जैव विविधता प्रबंधन समिति के साथ समन्वय कर सकेगी ।

22- LoLFkku i|uokl dk vfèkdkj : (1) जब अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के खंड (ड) के अधीन स्वस्थाने पुनर्वास के अधिकार का दावा किया जाए तो विधिक रूप से बेदखल कराने या विस्थापित करने अथवा पुनर्वास के लिए विधिक पात्रता प्राप्ति का भार राज्य अथवा राज्य के तत्वाधान में कार्यरत अभिकरण के पास होगा।

(2) दावे या तो मूल निवास के संबंध में अधिकारिता रखने वाली ग्राम सभा के सामने अथवा उस स्थान की ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत किए जाएं, जहां दावेदार का वर्तमान निवास है।

23 . विस्थापितों के लिए भूमि का अधिकार : (1) जब भूमि के अधिकार का

दावा अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (8) के अधीन किया जाता है तो भूमि के मुआवज़े के बिना विस्थापन का तथ्य, जैसा कि दावेदार द्वारा स्थापित किया जाए, अधिकार के लिए प्राथमिक आधार होगा।

(2) उन प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए इसे अधिग्रहीत किया गया था, 5 वर्षों के अंदर उक्त भूमि का उपयोग सिद्ध करने का भार, राज्य अथवा राज्य के तत्वाधान में कार्यरत अभिकरण पर होगा।

(3) दावे या तो मूल निवास के संबंध में अधिकारिता रखने वाली ग्राम सभा के सामने अथवा उस स्थान की ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत किए जाएं, जहां दावेदार का वर्तमान निवास है।

mikc/k & I

¿fu;e 6 ¼V½ nsf[k,À

i:i & d

ou Hkwfe ds vf/kdkjksa ds fy, nkok i:i

¿fu;e 27 ¼1½ nsf[k,À

1. दावेदार (रों) का/के /नाम
2. पति/पत्नी का नाम
3. पिता/माता का नाम
4. पता :
5. ग्राम :
6. ग्राम पंचायतः
7. तहसील/तालुका :
8. जिलाः
9. (क) अनुसूचित जनजाति : हां/नहीं
   (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
   (ख) अन्य परम्परागत वन निवासी : हां/नहीं
   {क्या पति/पत्नी अनुसूचित जनजाति से हैं (प्रमाण पत्र संलग्न करें)}
10. परिवार के अन्य सदस्यों का नाम और आयुः

(क्रमशः अगले पेज पर . . . . .)

Hkfe ij nko: dk Lo:i%

1. अधिभोग की गई भूमि का उपयोग

क) निवास के लिए

ख) स्वयं खेती के लिए, यदि कोई होः
(अधिनियम की धारा 3 (1) (क) देखें)

2- fookfnr Hkfe] ;fn dkbZ gk%
(अधिनियम की धारा 3 (1) (च) देखें)

3- iÍ@/kfr;k@vuqnku] ;fn dkbZ gk%
(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

4- ;Fkkor iquokZl gqr Hkfe ;k vkuqdfYid Hkfe] ;fn dkbZ gk%
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)

5- Hkfe tgk ls fcuk eqvkotk fn,] foLFkkfir fd, x, gk%
(अधिनियम की धारा 4 (8) देखें)

6- ou xzkeksa esa Hkfe dk foLrkj(;fn dkbZ gk%%
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ज) देखें)

7- vU; dkbZ ikjaifjd vf/kdkj] ;fn dkbZ gk%
(अधिनियम की धारा 3 (1) (झ) देखें)

8- leFkZu esa lk{;%
(नियम 31 देखें)

9- vU; dkbZ lwpuk %

दावेदार (रों) के हस्ताक्षर／अंगूठे का निशान

चलना होगा नज़र उठाये . . . . .

केन्द्रीय सरकार वन्य जीवों के संरक्षण की अतिवादी लाबी तथा वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता दिलाने के लिए पैरवी करने वालों के बीच के द्वन्द्व– जो सरकार के अंदर तथा बाहर दोनों जगह सक्रिय हैं – को समाप्त करके संतुलन नहीं बना पायी है। संभवतया इसीलिए वनाधिकार अधिनियम 2006 को अमल में लाने में विलम्ब हो रहा है।

इस अधिनियम की मूल भावना जहां वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देने की है वहीं पर वन्य–जीव संरक्षण तथा पर्यावरण की आड़ में सक्रिय लोग पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को आगे करके ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जो वन निवासियों को अपने गांव, घर छोड़ने को विवश करेंगीं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अधिनियम के लिए जो नियम बनाये गये हैं उनके नियम संख्या–34 में कहा गया है कि ".....
केन्द्र सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के 6 माह के भीतर जनजातीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से संग्रह किये जाने वाले आँकड़ों के स्वरूप, संग्रह करने की प्रक्रिया, आँकड़ों का सत्यापन, इसकी व्याख्या, विशेषज्ञ समिति की भूमिका, अन्य व्यक्तियों से परामर्श की प्रक्रिया के साथ महत्वपूर्ण वन्य–जीव आवास का अवधारण करेगा।"

इस प्रावधान की आड़ में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अत्यधिक सक्रिय हो गया है तथा महत्वपूर्ण वन्य–जीव आवासों की ज्यादा से ज्यादा घोषणा करने पर आमादा है और इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय स्तर पर एक समिति का भी गठन कर लिया गया है। मंत्रालय का यह रूझान इस बात से पुष्ट होता है कि मंत्रालय ने वन निवासियों के वनग्रामों–आवासों को अन्यत्र स्थानांतरित करने तथा उनके पुनर्वास के लिए एक बड़ी रकम रुपये 4874 करोड़ का प्रावधान कर रखा है, जबकि तथ्य यह है कि पिछले 30 वर्षों में केवल 80 वनग्रामों को स्थानांतरित किया जा सका है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मंशा तथा अधिनियम के लिए बने नियम 34 (1) (2) का दुरूपयोग करके वन निवासियों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वनों से बाहर किया जा सकता है।

इस प्रावधान के बारे में जागरूक रहने तथा इसके दुरूपयोग को रोकना हमारी फौरी जिम्मेदारी है।

PEACE

फोन / फैक्स : 2696 8121 E. Mail: peaceact@vsnl.com
एफ–93, (पहली मंज़िल) कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016